₹ 10

www.kewalsachtimes.com

अक्टूबर 2026

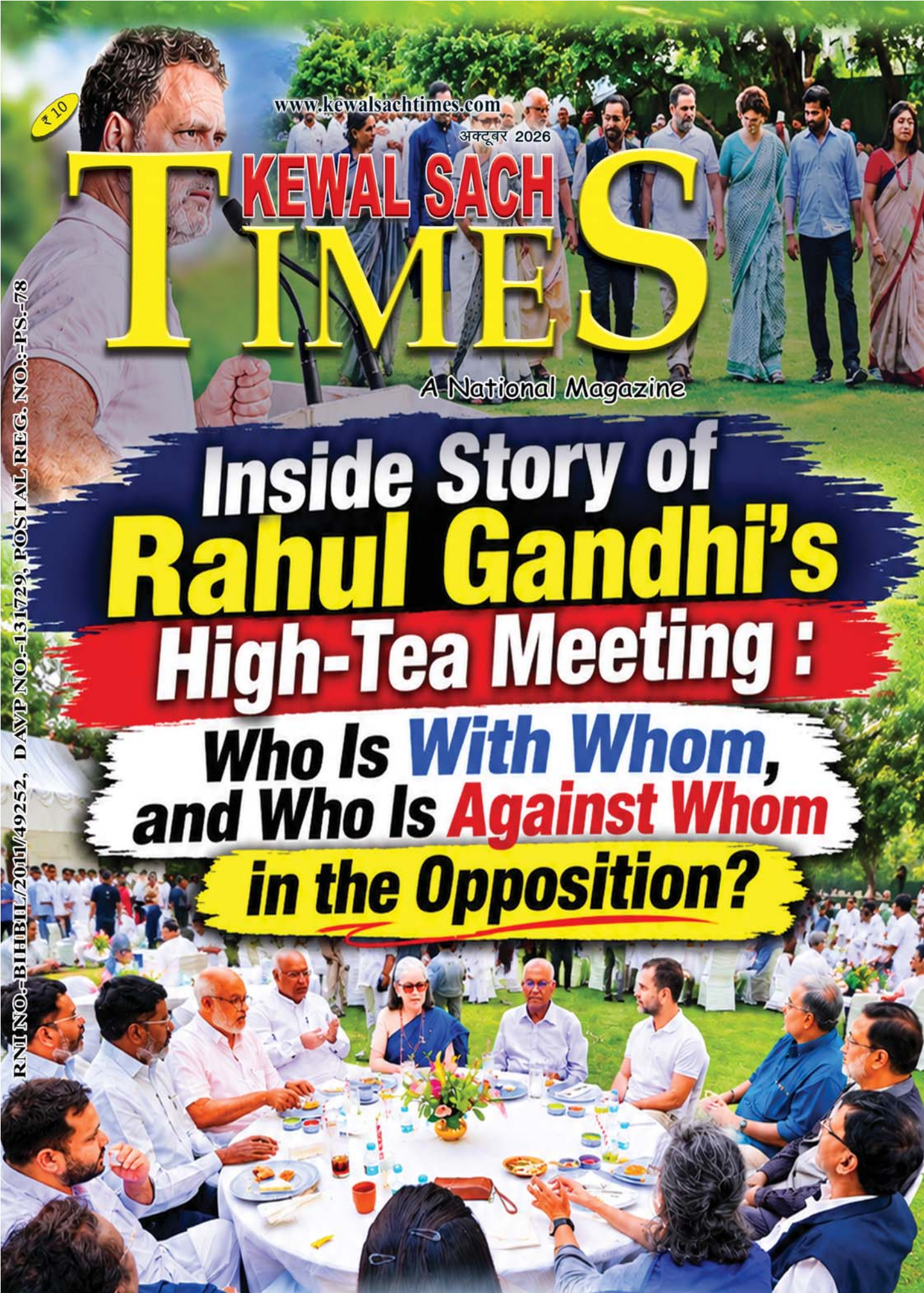
KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PS.-78

Inside Story of Rahul Gandhi's High-Tea Meeting :

Who Is With Whom, and Who Is Against Whom in the Opposition?



जन-जन की आवाज है केवल सच









आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा





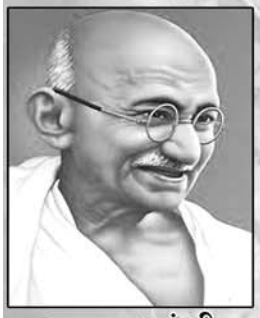
www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

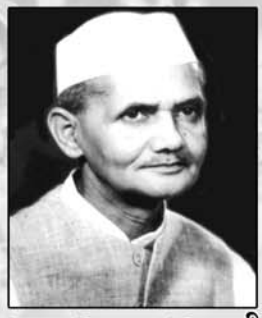
-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ



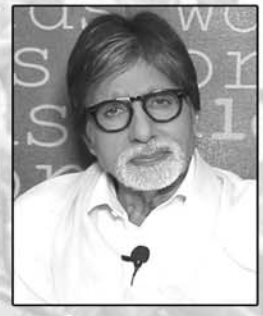
महात्मा गांधी
02 अक्टूबर 1869



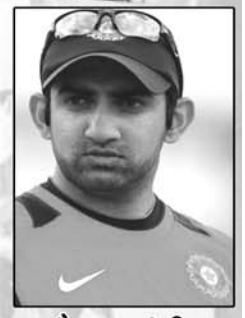
लाल बहादूर शास्त्री
02 अक्टूबर 1904



अभिजीत सावंत
07 अक्टूबर 1981



अमिताभ बच्चन
11 अक्टूबर 1942



गौतम गंभीर
14 अक्टूबर 1981



स्व० एपीजे कलाम
15 अक्टूबर 1931



नवीन पटनायक
16 अक्टूबर 1946



हेमा मालिनी
16 अक्टूबर 1948



अनिल कुंबले
17 अक्टूबर 1970



वृंदा करात
17 अक्टूबर 1947



सनी देवल
19 अक्टूबर 1956



नवजोत सिंह सिद्धू
20 अक्टूबर 1963



वीरेन्द्र सहवाग
20 अक्टूबर 1978



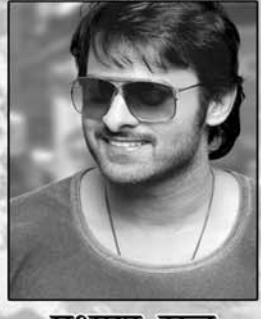
कादर खान
22 अक्टूबर 1932



परिनीति चोपड़ा
22 अक्टूबर 1988



सुनील भारती मित्तल
23 अक्टूबर 1957



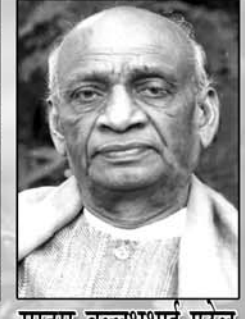
प्रभाश राजू
23 अक्टूबर 1979



रवीना टंडन
26 अक्टूबर 1974



अनुराधा पौडवाल
27 अक्टूबर 1954



सरदार वल्लभभाई पटेल
31 अक्टूबर 1875

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
COLOUR	Cover Page	3,00,000/-	N/A
	Back Page	1,00,000/-	65,000/-
	Back Inside	90,000/-	50,000/-
	Back Inner	80,000/-	50,000/-
	Middle	1,40,000/-	N/A
	Front Inside	90,000/-	50,000/-
	Front Inner	80,000/-	50,000/-

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
B & W	Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)



भाषा पर खोता नियंत्रण

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

राजनीतिक लाभ के लिए किसी के मृत माँ-बाप-पत्नी तक को टारगेट करके अभद्र एवं अमार्यादित भाषा का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है। राजनीतिक बहसों में स्वस्थ आलोचना के स्थान पर अक्सर व्यक्तिगत कटाक्ष, अपशब्द और आक्रामक शब्दावली का उपयोग बढ़ रहा है राजनीति का दायरा केवल चुनावं लड़ने, सत्ता हासिल करने, या राजनेताओं के दलबदल और झूठे वादों तक सीमित नहीं है। यह समाज, सामूहिक निर्णयों, और नागरिकों की भागीदारी से जुड़ी एक व्यापक प्रक्रिया है। कटुता और अभद्रता से लोकतांत्रिक संवाद कमजोर होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी (लिपि देवनागरी) है, लेकिन अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में रखा गया है। दक्षिण भारतीय राज्यों (विशेषकर तमिलनाडु) में हिन्दी को ''थोपे जाने'' के खिलाफ बड़े और ऐतिहासिक विरोध ा-प्रदर्शन हुए हैं। राजनीतिक दल इसे चुनाव और अस्मिता के मुद्दे के रूप में बार-बार उठाते हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं, जो देश के बहुभाषी स्वरूप को मान्यता देती हैं। शिक्षा में भाषाई संतुलन के लिए त्रिभाषा सूत्र (मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा) जैसी नीतियां लाई गई लेकिन इस पर आज भी बहस जारी है।

ब्रजेश मिश्र, संपादक
8340360961, 9431073769
editor.kstimes@rediffmail.com

पक्ष-विपक्ष सत्ता हासिल करने और अपने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल और राजनेता सहित कार्यकर्त्ता भी आक्रामक, कटाक्षपूर्ण और अपमानजनक एवं आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शब्दों का मर्यादा को कलंकित कर रहे हैं और माँ-बहन की गाली तक दे रहे हैं। अपना वजूद बरकरार रखने के लिए किसी भी जाति को भी मुख्य रूप से टारगेट किया जा रहा है। जब बड़े पदों पर बैठे राजनेता अपनी भाषा का नियंत्रण जान-बूझकर खो देते हैं, तो इसका बुरा प्रभाव समाज और विशेषकर युवा पीढ़ी पर पड़ता है। संसदीय परंपराओं का ह्रास: YourStory.com के अनुसार, संसदीय और असंसदीय भाषा के बीच का अंतर लगभग समाप्त होता जा रहा है और राजनीतिक बहसें अपशब्दों पर केंद्रित होती जा रही हैं। ज्ञात हो कि हाल ही में वरिष्ठ नेताओं (जैसे प्रो. रामगोपाल यादव) ने भी सार्वजनिक मंचों पर इस बात को स्वीकार किया है कि बड़े नेताओं को अपने बयानों में भाषा का संयम रखना चाहिए ताकि निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में भी शालीनता बनी रहे। किसी भी नेता पर चरित्र हनन, भ्रष्टाचार और पुरूषों से भी अवैध संबंध पर सार्वजनिक मंचों से बयान देने में गर्व महसूस करते हें। भारतीय राजनीति में अमर्यादित और अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर विभिन्न दलों के नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। किसी एक नेता को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अलग-अलग मौकों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं के बयानों पर विवाद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके नेताओं का अक्सर यह आरोप रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं (जैसे अतीत में ''मौत का सौदागर'', ''नीच आदमी'', ''जहरीला सांप'' जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर) द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। वहीं, विपक्षी दलों का यह कहना रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ नेता और सांसद (जैसे संसद में रमेश बिधूड़ी का मामला) या अन्य बयानों में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। समय-समय पर संसद के भीतर और बाहर भी नेताओं द्वारा ''टपोरी'', ''चखना'', या तू-तड़ाक वाली भाषा के इस्तेमाल पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। यह स्वीकार करते हुए मानना है कि राजनीतिक भाषा की मर्यादा बनाए रखना सभी दलों के नेताओं की सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन तीखे चुनावी और राजनीतिक विरोध के चलते अक्सर भाषाई स्तर में गिरावट देखने को मिलती है। मोदी ने वर्ष 2007 के गुजरात चुनाव के दौरान सोनिया गांधी और तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त जे एम लिंगदोह के प्रति किस भाषा का प्रयोग किया था। यशवंत सिन्हा का तत्कालीन प्रधामंत्री मनमोहन सिंह को 'शिखंडी' कहना याद है जिसका सीधा मतलब नपुंसक होता है। लालू, मुलायम, मायावती, कांशीराम, कल्याण सिंह, उमा भारती न तो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए थे और न ही उनका झुकाव किसी भी प्रकार की सांभ्रांतवादी सुविधाओं के प्रति था। सब जमीन से उठकर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसे एक प्रकार से राजनीति का 'मानसिक दिवालियापन' कहा जा सकता है। जिस प्रकार अपराध ी छवि कि लोग निरंतर राजनीति में आ रहे हैं और विभिन्न सरकारों और राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण स्थान पा रहे हैं उसके बाद ऐसा होना कोई अप्रत्याशित नहीं है। खड़गे जी ने कह दिया कि मोदी का बाप भी कुर्सी से हटेगा। इस पर अमित शाह जी का कहना है कि खड़गे जी ने मर्यादा को तार-तार कर दिया। लेकिन अमित शाह जी, आप यह क्यों भूल जाते हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत में अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है? जब सोनिया गांधी जी के लिए मोदी जी ने 'जर्सी गाय' और 'कांग्रेस की विधवा' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, तब क्या वह मर्यादा के अनुकूल था? शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को लेकर '50 करोड़ की गर्लफ्रेंड' जैसी टिप्पणी करना भी क्या आदर्श राजनीतिक भाषा का उदाहरण था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी (लिपि देवनागरी) है, लेकिन अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में रखा गया है। दक्षिण भारतीय राज्यों (विशेषकर तमिलनाडु) में हिन्दी को ''थोपे जाने'' के खिलाफ बड़े और ऐतिहासिक विरोध -प्रदर्शन हुए हैं। राजनीतिक दल इसे चुनाव और अस्मिता के मुद्दे के रूप में बार-बार उठाते हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं, जो देश के बहुभाषी स्वरूप को मान्यता देती हैं। शिक्षा में भाषाई संतुलन के लिए त्रिभाषा सूत्र (मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा) जैसी नीतियां लाई गईं, जिनके क्रियान्वयन पर आज भी बहस जारी है। सिंह से लेकर साक्षी महाराज जैसे नेताओं ने विवादास्पद बयानों से देश की राजनीति का स्तर गिराने का काम किया है। राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन वर्तमान में मतभेद धीरे-धीरे आपसी मनभेद में बदल रहे हैं। नेताओं को यह भूलना नहीं चाहिए कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनेता तीखे से तीखे बयान बड़ी विनम्रता से कह डालने की खूबी रखते थे। चुनाव नजदीक आते ही राजनेताओं के बयान विवादास्पद होने लगते हैं। राजनेताओं द्वारा जिस प्रकार का शब्दों का जहर विपक्षी दलों पर उगला जा रहा है।



KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्षः- 16, अंकः- 184 माहः- अक्टूबर 2026 रू. 10/-



Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor

Arun Kumar Banka 7782053204
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor

Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565

Sub. Editor

Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 7762089203

Bureau

Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer

Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

आवश्यकता है

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

हरियाणा हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

हिमाचल हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी

भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343



सितम्बर 2026





आपको केवल सच टाइम्स पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आप अपने संदेश हमारे ई-मेल पर एवं पत्र के जरीय भेज सकते हैं। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है :-

द्वारा:- ब्रजेश मिश्र

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:- 9431073769/ 8340360961

हमारा ई-मेल

kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

अन्दर के पन्नों में



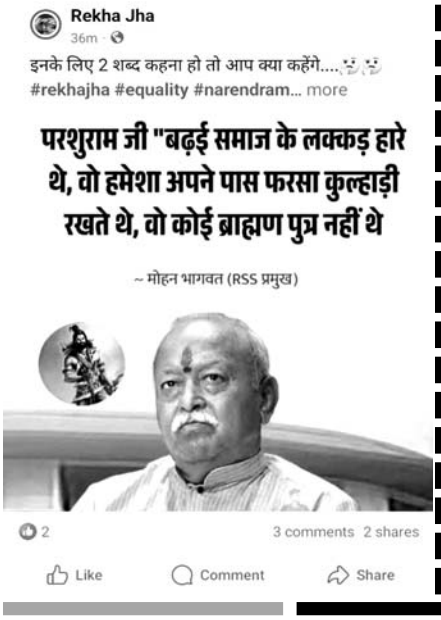
















श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654



डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251



सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक **''मगध इंटरनेशनल स्कूल''** टेकारी

'' केवल सच '' पत्रिका **एवं '' केवल सच टाइम्स ''**

9060148110

sudhir4s14@gmail.com



कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

एक नजर



संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

A/C No.	:- 20001817444
BANK	:- State Bank Of India
IFSC Code	:- SBIN0003564
PAN No.	:- AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of "APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".



KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

Registered Under the Indian Society Act 21, 1880

East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020

Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077

E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com

Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63



APNA GHAR

Now in the State of Bihar & Jharkhand

Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence in the lives of many Sr. Citizens.



KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

A/C No.	-	**0600010202404**
Bank Name	-	**United Bank of India**
IFSC Code	-	**UTBIOKKB463**
Pan No.	-	**AAAAK9339D**





● **अमित कुमार**

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अपनाई जा रही प्रक्रिया पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। सांताक्रूज के एक ही परिवार के 6 सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ कहा कि देश का चुनावी सिस्टम कानून और संविधान के नियमों से चलेगा, किसी सॉफ्टवेयर की मनमर्जी या तकनीकी रुकावटों से नहीं। हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए सवाल उठाया कि बिना किसी पूर्व सुनवाई के किसी नागरिक का मताधिकार कैसे छीना जा सकता है? ज्ञात हो कि जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जामसांडेकर की खंडपीठ सांताक्रूज (मुंबई) निवासी एक परिवार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। परिवार के छह सदस्यों ने उसी विधानसभा क्षेत्र के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अपना पता बदला था और इसके लिए बकायदा फॉर्म 8 जमा किया था। इसके बावजूद SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से उनका नाम पूरी तरह हटा दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सीधे चुनाव आयोग से पूछा कि आखिर किस कानून और नियम के तहत किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने (सुनवाई का मौका दिए बिना) का अवसर दिए बिना उसका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है? अदालत ने इस मामले में संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को खुद कोर्ट में पेश होने का सख्त निर्देश दिया। वही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील गौरिश अग्नि ने दलील दी कि SIR प्रक्रिया के दौरान आयोग का तकनीकी सिस्टम फॉर्म 8 को प्रोसेस करने की अनुमति नहीं दे रहा था, जिसके चलते संबंधित मतदाताओं के नाम सूची में अपडेट नहीं हो सके और वे हट गए। आयोग की इस लाचारी पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हर स्थिति में देश का कानून लागू होना चाहिए। ERO कोई असहाय अधिकारी नहीं हो सकता जो किसी सॉफ्टवेयर या तीसरे व्यक्ति के निर्देशों पर निर्भर रहे। ERO के पास सॉफ्टवेयर को खोलने, उसमें सुधार करने या अपने स्वतंत्र आदेश के अनुसार नाम हटाने या जोड़ने की पूर्ण क्षमता और चाबी होनी चाहिए। तकनीक को कानून के अधीन रहना होगा, न कि कानून का।



तकनीक के। कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया कि SIR के दौरान फॉर्म 8 प्रोसेस नहीं हो सकता था। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसका सीधा मतलब तो यह हुआ कि SIR के नाम पर कुछ समय के लिए देश के कानून और चुनावी नियमों को ही निलंबित या स्थगित कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि आयोग एक समानांतर व्यवस्था शुरू करके यह नहीं कह सकता कि फिलहाल मौजूदा कानून और नियम लागू नहीं होंगे। व्यवस्था मतदाता के अधिकार की रक्षा के लिए काम करने के लिए है, और अंततः यह चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि देश का कोई भी वैध नागरिक मतदाता सूची से बाहर न छूटे। साथ ही अदालत ने कहा कि वह इस पूरी प्रक्रिया और इसके व्यापक प्रभाव से बेहद चिंतित है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब सांताक्रूज के एक परिवार के छह लोगों को इस तकनीकी खामी के कारण इतनी मानसिक और कानूनी परेशानी झेलनी पड़ी, तो सोचिए ऐसे और कितने आम नागरिक होंगे जिनके नाम चुपचाप काट दिए गए और वे अदालत तक नहीं पहुंच पाए। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से कहा गया कि जिन लोगों ने दोबारा फॉर्म







6 (नया मतदाता बनने का फॉर्म) भरा, उनके नाम वापस जोड़ लिए गए, जबकि याचिकाकर्ता परिवार एन्यूमरेशन फॉर्म या फॉर्म 6 भरने को तैयार नहीं था। इस पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई कि जब व्यक्ति पहले से पंजीकृत है और केवल पता बदलने के लिए नियमानुसार फॉर्म 8 भर चुका है, तो उसे दोबारा नया फॉर्म 6 भरने के लिए विवश क्यों किया जा रहा है?

विदित हो कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा में मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' को लेकर भारतीय चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक ही परिवार के छह भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची से गायब होने के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ कहा कि SIR का मुख्य आधार यह तय करना होना चाहिए कि कोई व्यक्ति देश का नागरिक है या नहीं, न कि प्रक्रियात्मक उलझनों में असली नागरिकों को ही वोटिंग अधिकार से वंचित कर दिया जाए। बता दें कि यह पूरा विवाद परेश सालगांवकर और उनके परिवार के पांच अन्य सदस्यों से जुड़ा है। भारतीय नागरिक होने और गोवा के स्थायी निवासी होने के बावजूद SIR प्रक्रिया

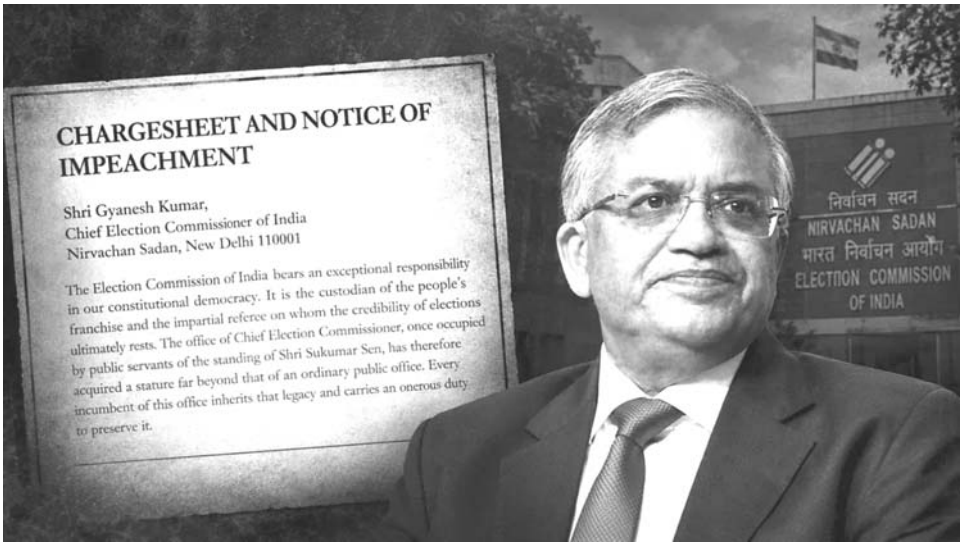


के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। परिवार का कहना है कि उन्होंने अपना पता बदलने के कारण नियमानुसार फॉर्म 8 (पता सुधार/स्थानांतरण हेतु) जमा कराया था, फिर भी उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जामसांडेकर की दो सदस्यीय पीठ कर रही है। अदालत ने चुनाव आयोग के रुख पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संवैधानिक रूप से आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में रहें। अदालत ने तीखा सवाल पूछते हुए कहा कि अगर इस प्रशासनिक कवायद का नतीजा यह निकले कि पात्र भारतीय नागरिक ही सूची से बाहर हो जाएं, तो फिर ऐसी SIR प्रक्रिया का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग का ध्यान केवल इस बात पर नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट समय पर एक जगह मौजूद है या नहीं, बल्कि प्राथमिकता नागरिकता के सत्यापन की होनी चाहिए। अदालत ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 21 का हवाला देते हुए कहा कि आयोग को पूरी प्रक्रिया मौजूदा (मूल) मतदाता सूची के आधार पर देखनी चाहिए, न कि सिर्फ ड्राफ्ट सूची के आधार पर। पीठ ने चिंता व्यक्त की कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली ने आम मतदाताओं को Catch-22 situation (एक ऐसी स्थिति जहां हर विकल्प नुकसानदेह साबित होता है) में धकेल दिया है, जिससे नागरिकों के पास अपनी स्थिति सुधारने का कोई सीधा कानूनी रास्ता नहीं बचता। वही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने तर्क दिया कि जिन लोगों



के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं थे और जिन्होंने 'एन्यूमरेशन फॉर्म' नहीं भरा था, उनके फॉर्म 8 पर कार्रवाई संभव नहीं थी। आयोग का सुझाव था कि ऐसे व्यक्ति फॉर्म 6 भरकर नए सिरे से मतदाता के रूप में पंजीकरण कराएं, क्योंकि SIR के तहत नई सूची तैयार मानी जाती है। हाईकोर्ट ने आयोग के इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति पहले से पंजीकृत मतदाता है और केवल स्थान बदला है, वह फॉर्म 6 में यह झूठी घोषणा कैसे कर सकता है कि वह 'नया मतदाता' है? अगर मतदाता फॉर्म 6 भरता है तो उस पर गलत जानकारी देने का आरोप लग सकता है। वहीं, अगर वह पता बदलने के लिए फॉर्म 8 देता है तो आयोग उसे स्वीकार नहीं करता। पीठ ने कहा कि देश के प्रशासनिक इतिहास में ऐसे एन्यूमरेशन फॉर्म की व्यवस्था नहीं रही है, जहां नागरिक को गलत घोषणा करने पर मजबूर होना पड़े। कोई भी जागरूक मतदाता ऐसे फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और न ही उसे करना चाहिए। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या नाम हटाने से पहले प्रभावित परिवार को कोई व्यक्तिगत नोटिस भेजा गया था? इस पर आयोग के वकील ने बताया कि नोटिस केवल सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर चिपकाए गए थे क्योंकि आयोग के पास मतदाताओं का नया संपर्क विवरण उपलब्ध नहीं था। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह एन्यूमरेशन फॉर्म और उससे संबंधित सभी दिशानिर्देशों का रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे। मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले निर्वाचन आयोग के फैसले लेने के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका और सीईसी के निलंबन की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्वाचन आयोग का कोई भी फैसला कानून के अनुरूप नहीं पाया गया, तो उसे



रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि, पीठ ने यह भी साफ किया कि वह केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं करेगी, क्योंकि वे सही या गलत हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग का यह प्राथमिक दायित्व है कि उसके द्वारा लिए जाने वाले फैसले सर्वसम्मति वाले या फिर बहुमत से हों। अदालत ने कहा कि सामान्यत: उसका यह मानना रहता है कि निर्वाचन आयोग कानून के दायरे में रहकर ही निर्णय लेता है। हालांकि, यदि सुनवाई के दौरान यह सामने आता है कि आयोग का कोई फैसला संवैधानिक या कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो न्यायहित में उसे निरस्त कर दिया जाएगा। अदालत में दायर जनहित याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि जब तक सीईसी द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर न्यायालय में अंतिम विचार नहीं कर लिया जाता, तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से निलंबित रखा जाए। सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता की ओर से मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया गया, तो पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि अदालत केवल अखबारों या समाचार माध्यमों की खबरों के आधार पर कोई भी अंतरिम या अंतिम आदेश जारी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट सही भी हो सकती हैं और गलत भी, इसलिए अदालत केवल साक्ष्यों और विधिक तर्कों के आधार पर ही मामले की समीक्षा करेगी। वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्णय लेने की प्रक्रिया और उनके निलंबन की मांग से जुड़ी इस चुनौती को गंभीरता से लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को आधिकारिक नोटिस जारी किया है।

विदित हो कि जस्टिस उज्जवल भुइयां ने हैदराबाद की नलसर यूनिवर्सिटी में कहा कि वोटिंग से रोकने वाली प्रक्रिया मनमानी है। इसे कोई बहाना सही नहीं ठहरा सकता। ऐसी प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था को नकारती है। उन्होंने कहा कि अरबपति हो या रिक्शे वाला, दोनों के वोट बराबर होती है। जस्टिस भुइयां के बयान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किल बढ़ गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी उनसे इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान नागरिकों के दो वर्ग नहीं बनाता, जिसमें एक वर्ग को वोट देने का अधिकार हो और दूसरे को इससे रोका जाए। भारतीय नागरिकों को बड़े पैमाने पर वोटिंग से रोकने वाली कोई भी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और 14 का उल्लंघन होगी। जस्टिस भुइयां के अनुसार, अगर कोई प्रक्रिया लाखों भारतीय नागरिकों को उनके ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाती है तो यह मनमानी है। इसे किसी भी तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता। यह संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ और संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है। जयराम रमेश ने कहा कि जस्टिस भुइयां की टिप्पणी से यह साबित होता है कि संवैधानिक पद पर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त ने संविधान के प्रावधानों और उसकी भावना, दोनों का उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जस्टिस भुइयां की टिप्पणी ने ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।







CEC ने पद पर बने रहने का सारा नैतिक अधिकार खो दिया है। पिछले 3 दिनों ने दिल्ली, मुंबई समेत कई स्थानों पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। वही दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 3 मांगों पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने दिल्ली में महिला पत्रकारों के उत्पीड़न की निंदा करते हुए कहा कि तानाशाह बहुत घबराया हुआ है। खरगे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पार्टी की 3 मांगे non-negotiable हैं। पहली, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा। दूसरी SIR को रद्द करना। तीसरी, बैलेट पेपर पर चुनाव कराना। देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के साथी इन तीन मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। जो भी Civil Society Members व Youth Organisations इन मुद्दों पर देश में जगह-जगह संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दूसरी ओर भाजपा ने दिल्ली में महिला पत्रकारों का उत्पीड़न किया, वो बेहद निंदनीय है। तानाशाह बहुत घबराया हुआ है, ध्यान भटकाने के एक और अध्याय के लिए तैयार रहिए। गौरतलब है कि जस्टिस उज्जवल भुइयां के वोटिंग अधिकार संबंधी बयान के बाद CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने हैदराबाद की नलसर यूनिवर्सिटी में कहा कि वोटिंग से रोकने वाली प्रक्रिया मनमानी है। इसे कोई बहाना सही नहीं ठहरा सकता। ऐसी प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था को नकारती है। उन्होंने कहा कि अरबपति हो या रिक्शे वाला, दोनों के वोट बराबर होती है। जस्टिस भुइयां के बयान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किल बढ़ गई।





बहरहाल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के सभी नेता मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और याचिका दायर करेंगे। चीफ जस्टिस ने हमसे याचिका दायर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचा रही है। सरकार गलती कर रही है। वह ज्ञानेश को जितना बचाएगी उतना ही फंसेगी। दूसरी ओर, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि वे विपक्ष के नेताओं से मिल नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को पुलिस से पिटवाया जा रहा है। उन्हें दिल्ली आने से रोका जा रहा है। सरकार की वजह से पुलिसकर्मी परेशान हैं। मोदी सरकार के 200 अफसर हमारे टच में हैं। ED, CBI, विदेश मंत्रालय के अंदर से सभी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपको जो करना है करो... सच्चाई हमारे साथ है। उन्होंने सवाल किया कि प्रदर्शन के दौरान 20 से 30 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती क्यों की गई है? बसों और ट्रेनों को क्यों रोका जा रहा है? दिल्ली को किला बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल मार्च



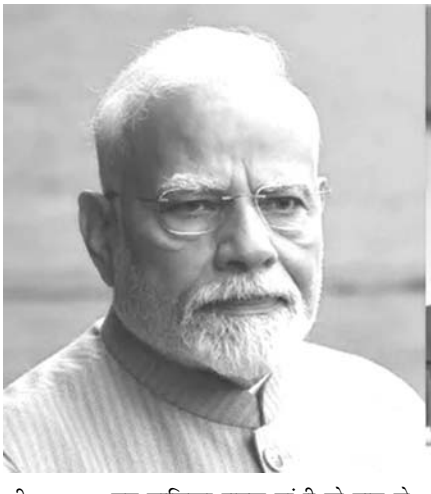
करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां याचिका दायर करेंगे। हालांकि हमें रोका जाएगा, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। देश की जनता इस पुलिसिया दमन और तानाशाही को देख रही है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ज्ञानेश कुमार को बचा रही है, लेकिन वह जितना ज्ञानेश को बचाएगी उतना ही फंसेगी। नरेंद्र मोदी देश की जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। उनकी आवाज को कुचल रहे हैं और महिलाओं को अपने गुंडों से पिटवा रहे हैं। लेकिन अब और नहीं-देश देख रहा है और हर गद्दार का हिसाब होगा। आगे राहुल ने कहा कि गद्दार ज्ञानेश को उसके आका बचाने की लाख कोशिश कर लें, लेकिन कोई बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि ज्ञानेश कुमार का क्या हाल है। वे रात को सो नहीं पा रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से लाखों लोगों के अधिकार छीने हैं, उस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार बचेंगे नहीं और मैं ये बात सीधे उन्हीं से कह रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि झूठ को बचाने वाले थक जाएंगे, लेकिन हम थकेंगे नहीं। जितना भी टाइम लग जाए, हम विरोध करते रहेंगे। जब तक ज्ञानेश का इस्तीफा नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंन कहा कि प्रदर्शन के लिए लोग धैर्य बनाए रखें। संविधान की रक्षा के लिए सभी को आगे आना होगा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में भारतीय इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याचिका दायर की गई। यह याचिका राहुल गांधी के नाम से दाखिल की गई और ये याचिका वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। एसआईआर में बड़े पैमाने पर नाम कटने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं में राहुल गांधी समेत 11 नेताओं के नाम हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। राहुल गांधी की ओर से अर्जी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने लीगल टीम के साथ मशविरा किया। राहुल गांधी, प्रियंका, खरगे ने एस.सी. पहुंचकर हस्ताक्षर किए। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राजद नेता तेजस्वी यादव, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य INDIA गठबंधन के नेताओं ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकला यह मार्च सुप्रीम कोर्ट से करीब 600 मीटर पहले रोक दिया गया। हालांकि, कांग्रेस की कानूनी टीम ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका में राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खरगे, तेजस्वी यादव, सौगत रॉय और अखिलेश यादव भी याचिकाकर्ता हैं। इस बीच, INDIA गठबंधन के मार्च में बड़ी संख्या में लोग जुटे। विपक्षी दलों ने कथित 'वोट चोरी' के आरोपों और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी चिंताएं उठाईं। वही विपक्षी दलों ने इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से मुलाकात का समय मांगा था। राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस मुलाकात के जरिए कथित 'वोट चोरी' के आरोपों को उठाना चाहते थे। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे से संबंधित मामले लंबित होने और उन पर सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को देखते हुए यह फैसला लिया गया। विपक्षी दल कई मुद्दे उठाना चाहते थे। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति की संरचना जैसे मुद्दे शामिल थे। खबरों के अनुसार हालांकि याचिका में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 14 खामियां बताई हैं। इनमें कुछ प्रतिवादियों के नामों में विसंगति, आवश्यक दस्तावेजों की कमी और कोर्ट फीस में 220 रुपए की कमी शामिल है।

विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका में कुल 14 कमियां चिह्नित की हैं। इनमें कुछ प्रतिवादियों के नामों में अंतर और निजी व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाने का पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना शामिल है। इसके अलावा,









याचिका के साथ पहले के एक फैसले की प्रति संलग्न नहीं की गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को छोड़कर नौ याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे भी नहीं मिले हैं। वकालतनामा वह दस्तावेज होता है, जिसके जरिए कोई पक्षकार अपने मामले की पैरवी के लिए वकील को अधिकृत करता है। रजिस्ट्री ने मल्लिकार्जुन खरगे के पहचान पत्र की प्रति धुंधली होने और जमा की गई कोर्ट फीस में 220 रुपए की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया है। दस्तावेजों की छपाई से जुड़ी कुछ कमियां भी बताई गई हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और अन्य अनियमितताएं हुई हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग की गई है। इस समिति में तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों को शामिल करने का प्रस्ताव है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि समिति एक निर्धारित समयसीमा के भीतर SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों और किए गए संशोधनों का स्वतंत्र ऑडिट करे, ताकि कथित अनियमितताओं की जांच की जा सके। इसमें चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' से जुड़े फैसलों के तरीके को चुनौती



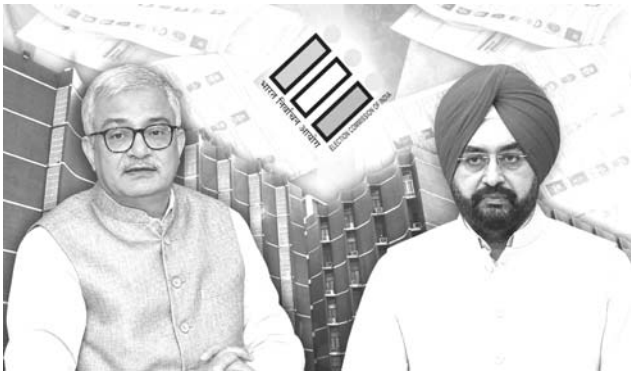
दी गई है। इसमें विवादित फैसलों से जुड़ी EC की पूरी फाइलें, एजेंडा, बैठक का विवरण, नोटिंग और आपत्तियों का खुलासा करने की मांग की गई है। इनमें SIR शुरू करने का 24 जून, 2025 का फैसला और ECINET व ERONET के एक्सेस लॉग भी शामिल हैं। इसमें इस बात की न्यायिक जांच की भी मांग की गई है कि क्या ये फैसले संविधान के अनुच्छेद 324, चुनाव आयोग को नियंत्रित करने वाले 2023 के कानून और 'टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार लिए गए थे। याचिका में मुख्य रूप से यह मांग की गई है कि कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि किसी भी वोटर का नाम बिना नोटिस और सुनवाई का उचित मौका दिए न हटाया जाए। साथ ही, हटाए गए वोटरों की सूची बूथ-वार प्रकाशित करने और उसमें नाम हटाने के कारण व डेमोग्राफिक जानकारी शामिल करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसमें ECINET और ERONET सहित वोटर लिस्ट डेटाबेस में नाम हटाने और बदलावों की ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति बनाने की भी मांग की गई है। याचिका में विशेष रूप से कोर्ट से मांग की गई है कि वह ECI को निर्देश दे कि वह यह सुनिश्चित करे कि SIR से जुड़ा चुनाव आयोग का हर फैसला 2023 के कानून के अनुसार लिया जाए और उसका विधिवत रिकॉर्ड (मिनट्स) रखा जाए। इसमें यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि कानून के अनुसार बिना नोटिस और सुनवाई का उचित मौका दिए वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम न हटाया जाए। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि मामले में उठाए गए मुद्दों पर विचार और अंतिम निर्णय होने तक विभिन्न राज्यों में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई जाए। याचिका के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना है।



सनद् रहे कि मार्च के



दौरान दिल्ली में बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस दौरान CJP नेता अभिजीत दीपके और चार पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित 7,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई के कारण जंतर-मंतर पर प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन को रोक दिया गया। जंतर-मंतर दिल्ली में निर्धारित प्रदर्शन स्थलों में से एक है, लेकिन यहां ज्यादातर समय सन्नाटा पसरा रहा। प्रदर्शनकारियों को वहां पहुंचने से रोकने के लिए लुटियंस दिल्ली में कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 30,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का दावा किया गया। जंतर-मंतर की ओर नारेबाजी करते हुए मार्च कर रहे 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस



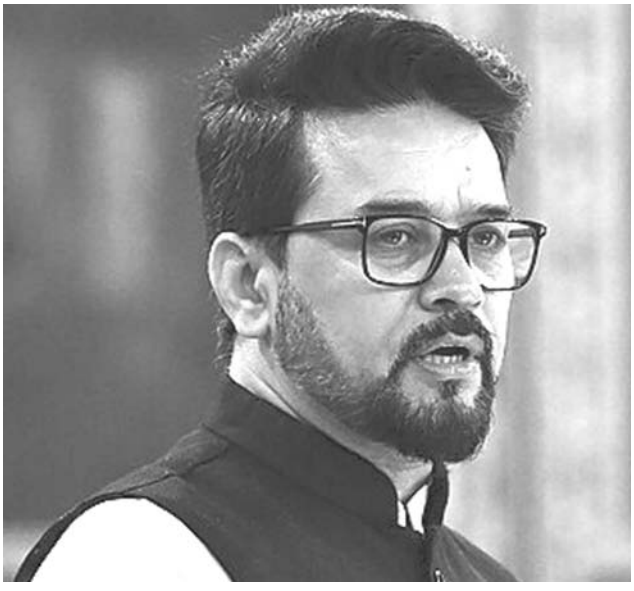
बसों में ले जाते हुए देखा गया। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की कार्रवाई शाम तक जारी रही। शाम 6:30 बजे के बाद भी अलग-अलग स्थानों से लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आईं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग पर बढ़ती आलोचना के बीच हो रहे हैं। विवाद उस समय और बढ़ गया, जब ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने के दौरान कम से कम 14 बार कुछ फैसलों और आदेशों पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, इनमें कुछ ऐसे आदेश भी शामिल थे, जिनके बारे में कथित तौर पर कहा गया कि वे उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों के बीच अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग ने SIR सहित सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए हैं।

गौरतलब है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। प्रदर्शन को कवर कर रही महिला पत्रकारों के साथ कथित पुलिस उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि जंतर-मंतर पर रिपोर्टिंग के दौरान महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो कोई एफआईआर दर्ज की गई और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, जिस पुलिस का काम देश और नागरिकों को सुरक्षा देना है, आज उसी से महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कॉलेज की छात्राओं से लेकर पत्रकार तक, देश के हर कोने में महिलाएं असुरक्षा का सामना कर रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करते हुए पूछा कि क्या महिलाओं के साथ इस तरह का बर्ताव उचित है? अगर नहीं, तो सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? विदित हो कि बीते 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर सीईसी के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस दौरान वहां मौजूद कम से कम तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। घटना के तूल पकड़ने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सभी शिकायतें क्राइम ब्रांच को सौंप दी हैं। वही इस पूरी घटना पर 'प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया' ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। काउंसिल ने विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे मीडियाकर्मियों, विशेषकर महिला पत्रकारों के साथ हुए इस अवांछित बर्ताव पर गहरी हैरानी और निराशा व्यक्त की है। पीसीआई ने दिल्ली पुलिस से मांग की है कि पत्रकारों की शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल, इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक दलों और मीडिया संगठनों की ओर से लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है।



बहरहाल, इंडिया गठबंधन के विरोध मार्च से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के 'शिवजी की बरात' वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग जीवनभर भगवान राम का विरोध करते रहे, वे आज शिवजी की बरात की बात कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के मार्च को लेकर कहा कि यह शिवजी की बरात नहीं, बल्कि हुड़दंगियों की जमात है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवराज ने कांग्रेस की लगातार चुनावी हार को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामी के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि असली समस्या उसका नेतृत्व है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस कई वर्षों से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत



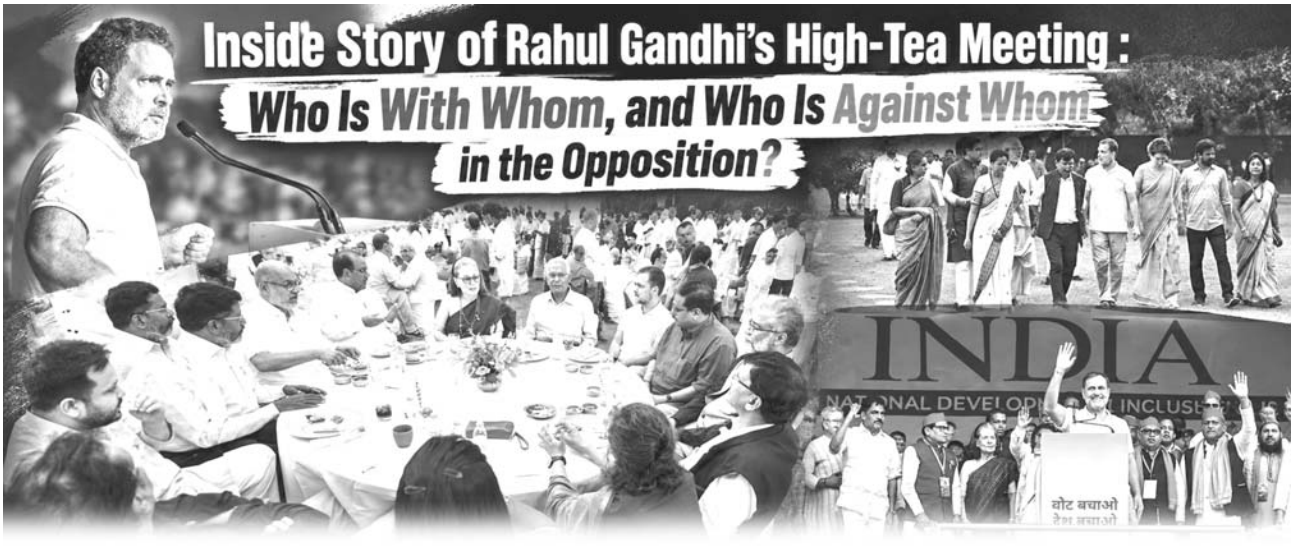




बन गई है। शिवराज ने कहा कि लगातार चुनाव हारना और फिर सड़कों पर प्रदर्शन करना कांग्रेस की नियति बन गई है। उन्होंने 'नाच न जाने आंगन टेढ़ा' कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी हार के कारणों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पर विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस वामपंथियों, जॉर्ज सोरोस जैसी विदेशी ताकतों और गैर सरकारी संगठनों का सहारा ले रही है। हालांकि, उन्होंने इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु में कांग्रेस करीब 59 साल, पश्चिम बंगाल में 49 साल, सिक्किम में 42 साल, उत्तर प्रदेश में 37 साल और बिहार में 36 साल से सत्ता से बाहर है। उन्होंने कहा कि तीन-चार राज्यों को छोड़कर कांग्रेस बाकी जगह सहयोगी दलों पर निर्भर है। शिवराज ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में कांग्रेस द्रमुक, बिहार में राजद और उत्तर प्रदेश में सपा या बसपा के सहारे राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चुनावी हार का कारण चुनाव आयोग नहीं, बल्कि उसका दिशाहीन नेतृत्व है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व देश और उसकी जनता को नहीं समझता। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी के भीतर खींचतान और पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने का जिक्र किया। कांग्रेस कई राज्यों में अंदरूनी विवादों से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी कमजोरियों को दूर



करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शिव का तांडव चल रहा है- इसमें कुछ भी प्लान नहीं होता है। ये शिव की बारात है, इसमें कोई भी आ सकता है, हम किसी को रोकेंगे नहीं। वही दूसरी ओर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल उठाते हुए उन्हें 'हवा-हवाई नेता' बताया। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी तथ्यों और तर्कों के बजाय निराधार आरोप लगाते हैं और संवैधानिक संस्थाओं की छवि को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी कहने के लिए नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उन्हें न तथ्यों की जानकारी है, न तर्कों की और न ही नियम-कायदों की समझ है। उनके मुताबिक, राहुल गांधी की राजनीति का तरीका अराजकता फैलाने, अस्थिरता पैदा करने और संवैधानिक पदों एवं संस्थाओं को नीचा दिखाने पर आधारित है। भाजपा सांसद ने कहा कि देश को ऐसे नेता प्रतिपक्ष की राजनीति देखने को मिल रही है, जो उनके अनुसार अस्थिरता और अराजकता को बढ़ावा देती है। उन्होंने राहुल गांधी को 'हवा-हवाई नेता' बताते हुए कहा कि उनकी राजनीति का पूरा पैटर्न ही हवा-हवाई है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बार-बार अलग-अलग मुद्दों पर आरोप लगाते हैं और बाद में अदालत में माफी मांगते हैं। उन्होंने चुनावी हार का जिक्र करते हुए भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वह चुनाव आयोग, ईवीएम, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य मुद्दों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनावी नतीजों और राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाते हुए कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम और कभी मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाने पर लेते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की भाषा और आरोप लगाने के तरीके पर भी आपत्ति जताई। भाजपा सांसद ने कहा कि देश को शोर नहीं, सच चाहिए; आरोप नहीं, प्रमाण चाहिए और राजनीतिक बयानबाजी के बजाय स्पष्ट जवाब चाहिए। अनुराग ठाकुर के इस बयान के जरिए भाजपा ने राहुल गांधी की राजनीति और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उनके बयानों पर सवाल उठाए हैं। यह बयान दोनों नेताओं और भाजपा- कांग्रेस के बीच जारी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है।



In politics, a speech delivered from a public platform is not always as significant as who gets a place on the stage, who holds the microphone and who is left waiting for their turn. The political significance of the high-tea meeting at Rahul Gandhi's residence can also be understood from this perspective.

On the surface, the battle is about electoral fairness, alleged irregularities in voter lists, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's resignation and democratic rights. But another battle is unfolding within the opposition: Who will lead the movement, who will determine its political direction, and whose position will be strengthened in future politics through it? The meeting of INDIA bloc leaders at Rahul Gandhi's residence, followed by reports about internal discussions, points towards these larger questions. The reported pause in protest activities around Navratri and Diwali, the discussion about keeping distance from the Cockroach Janta Party (CJP) and the Aam Aadmi Party (AAP), the Samajwadi Party's alleged objection, and the prominence given to AISA leader Neha Bora are not isolated developments. They appear to be connected by a common political thread.



The opposition is fighting the government, but leadership within the opposition is also being put to the test.

A Pause on the Streets, but Not in Politics

According to reports, opposition parties discussed taking a brief break from major joint demonstrations and working out their next strategy after the festive period. It would be a mistake to interpret this merely as movement fatigue. In street politics, timing, symbolism and public support all matter.

After a prolonged spell of protests, several questions arise about the movement's next phase. Should it remain confined to Delhi, or expand to states, universities and civil society organisations? Should the campaign focus exclusively on demanding the Chief Election Commissioner's resignation, or develop into a broader movement centred on voter lists, electoral transparency and institutional accountability?

This presents both an opportunity and a challenge for Rahul Gandhi.

As Leader of the Opposition in the Lok Sabha, his responsibility is not limited to challenging the government. He must also provide a common direction to parties with different ideologies, regional interests and political ambitions. Achieving that unity is difficult, especially when every ally wants a share of the political



gains generated by a movement.

Distance From CJP or a Contest for Leadership?

One of the most interesting aspects of the developments is the Congress party's relationship with the Cockroach Janta Party (CJP).

Emerging from a youth movement focused on alleged irregularities in the education system and examinations, CJP later raised its voice on issues including the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls and electoral fairness. Its most distinctive political feature is its attempt to bring young people and civil society groups together outside the established structures of traditional political parties.

That is precisely what makes the movement significant.The Congress has long challenged the government on democracy, the Constitution and allegations of vote theft. However, if a non-traditional youth movement begins attracting greater attention, public support and social media engagement on the same issues, the Congress faces a strategic question: Should it work alongside the movement or preserve its own leadership by operating parallel to it?

Reports about maintaining distance from CJP can be viewed in the context of this potential competition. However, on October 14, Rahul Gandhi criticised the detention of CJP leaders and spoke about bringing demonstrations by different organisations together around a common objective. This suggests that a distinction may be emerging between political leadership and solidarity on specific issues. In a post on X, Rahul Gandhi also described the government's actions in removing Jantar Mantar as a protest venue and sending young people to jail as an act of cowardice.

The possible message is clear: Cooperation on issues, while retaining independence over leadership and organisational identity. Such a strategy could offer the Congress immediate political advantages, but it also has limitations. If every organisation remains preoccupied with protecting its own flag, platform and prominent faces, the collective strength of the movement could become fragmented.

Distance From AAP: A New Chapter in an Old Rivalry

The reported reluctance to coordinate with the Aam Aadmi Party is also part of the same political calculation. The relationship between the Congress and AAP is one of the most contradictory stories in Indian opposition politics. The two parties coordinated their seat-sharing arrangements in some regions, including Delhi, during the 2024 Lok Sabha elections. However, they contested separately in the 2025 Delhi Assembly elections. Their rivalry is not merely about seats. It also concerns leadership and credibility in anti-BJP politics.

Differences between the Congress and AAP in Delhi have repeatedly raised a fundamental question: Is opposition to the BJP, by itself, sufficient to sustain opposition unity? AAP's role in the recent protests





and the reported dissatisfaction within the Congress camp can be understood against this background. If a party believes that an ally failed to support it at a crucial political moment, it is natural for its confidence in that ally to weaken during subsequent strategic discussions. Yet there is a larger contradiction here. If the opposition presents electoral fairness as a national democratic issue, should political rivalry in Delhi take precedence over that struggle?

The distance between the Congress and AAP could create political opportunities for the BJP. At the same time, alliances without mutual trust can appear strong on paper while remaining fragile in practice.

Samajwadi Party's Objection to Chandrashekhar Azad: The Real Battle Is Over Votes

The Samajwadi Party's reported objection to including Chandrashekhar Azad in the broader opposition alliance is one of the most important social and electoral dimensions of this story.



Viewing Azad's politics merely as the political ambition of a Dalit leader would be an incomplete assessment. He represents an independent Dalit political identity that seeks to establish its own space rather than depend entirely on support from traditional parties. His victory from the Nagina Lok Sabha constituency in the 2024 general elections provided a strong illustration of this independent political presence. Azad secured more than 5.12 lakh votes and defeated the BJP candidate by approximately 1.51 lakh votes. The Samajwadi Party candidate, meanwhile, received around 1.02 lakh votes. This was more than an electoral result. It demonstrated the emergence of independent Dalit leadership in western Uttar Pradesh. The Samajwadi Party's political strategy is built around its PDA formula—Pichhda, Dalit and Alpsankhyak, referring to backward classes, Dalits and minorities.

Akhilesh Yadav has repeatedly presented this social coalition as one of his party's biggest strengths against the BJP's broader social support base. If another Dalit leader begins offering an independent political alternative to a section of the same electorate, competition over leadership becomes inevitable, alongside competition for seats. If reports of the Samajwadi Party's objection to including Chandrashekhar Azad are accurate, the issue could be interpreted not simply as opposition to an individual leader but also as concern about the potential division of votes in future elections. For the Congress, engaging with a leader such as Azad could broaden Dalit representation within opposition politics. For the Samajwadi Party, the same move could mean making room for a competing centre of influence within its PDA coalition.

This is one of the biggest contradictions of coalition politics: A leader who could strengthen broader opposition unity may also pose an electoral challenge to an alliance partner.

As Uttar Pradesh moves towards the 2027 Assembly elections, the question will become increasingly important. Will opposition parties broaden social representation, or will they focus on protecting their respective traditional political constituencies?

Neha Bora Gets the Mic: Search for a New Generation or a New Congress Strategy?

One of the most widely discussed signals emerging from the meeting at Rahul Gandhi's residence was the prominence reportedly given to AISA student leader Neha Bora.

According to reports about the meeting, Bora was given an opportunity to speak at the press conference, while no leader from the Congress-affiliated National Students' Union of India (NSUI)





received comparable prominence. Her presence alongside Priyanka Gandhi and her appearance on a shared platform with Rahul Gandhi added further political significance to the development. This naturally raises a question: Why would the Congress leadership give prominence to a leader from another student organisation instead of someone from its own student wing?

One possible explanation lies in the changing nature of youth politics. Young people's concerns today extend well beyond campus elections. Issues such as examination paper leaks, unemployment, the rising cost of education, accountability in public institutions and democratic rights are increasingly connecting young people with broader political movements. Established political parties therefore face growing pressure to engage not only through their traditional leaders but also through new faces emerging from grassroots campaigns.



Neha Bora is the national president of AISA, a left-wing student organisation associated with the political tradition of the CPI(ML) Liberation. Giving a leader from such an organisation prominence alongside the Congress leadership does not necessarily indicate ideological alignment. It could instead reflect the possibility of strategic cooperation on specific issues. The Congress has previously seen figures such as Kanhaiya Kumar move from left-wing student politics into the party. The effort to give emerging youth leaders a platform is therefore not entirely unprecedented. However, it would be premature to conclude from Bora's prominence alone that a new left-wing leader is set to join the Congress.

Another detail deserves attention. On October 13, NSUI also organised a separate protest in Delhi demanding the Chief Election Commissioner's resignation. It would therefore be inaccurate to suggest that the Congress's own student organisation was entirely inactive.

The more nuanced question is this: **When the party's own student activists are also protesting, which face does the leadership choose to communicate its political message at a joint platform?**

That is the significance of symbolic politics. Sometimes, a single microphone can convey more than several speeches.

INDIA Bloc Faces Two Separate Battles

Another aspect is essential to understanding



the meeting at Rahul Gandhi's residence. The opposition is currently testing its strength on two different fronts. The first is the battle against the BJP and the central government. Opposition parties have raised questions about the Special Intensive Revision of electoral rolls and expressed concerns about electoral fairness. The Election Commission and the ruling side have their own arguments regarding these allegations. An impartial assessment of the actual changes to voter lists and their impact is necessary; political allegations alone do not establish that irregularities have occurred.

The second battle is within the opposition itself: Who will become the political representative of public dissatisfaction? Who will win the confidence of the younger generation? Who will secure support among Dalits, backward classes and minorities? And which party will be able to claim that the politics of an alternative to the BJP is advancing under its leadership? For the Congress, the challenge is to strengthen its national leadership while maintaining the confidence of regional allies. For the Samajwadi Party, it is to broaden the PDA coalition without losing its distinct political identity. For AAP, the challenge is to preserve its independent position in anti-BJP politics without shutting the door on dialogue with other opposition parties. For movements such as CJP, the task is to convert popularity on the streets into a sustainable organisation and a credible political direction.

The growing prominence of young faces amid these competing interests signals an important shift in Indian politics. However, the future of a movement cannot be determined by viral videos, slogans or a single high-profile press conference. It requires organisational strength, a support base, clearly defined issues and sustained engagement.

Conclusion: Will the High-Tea Meeting Shape a New Political Equation?

The real significance of the meeting at Rahul Gandhi's residence lies in more than deciding when the next protests will take place or which parties will appear on a particular platform. The larger question is how the opposition defines the purpose and direction of its struggle. Will the movement remain focused on the accountability of electoral institutions and democratic rights? Will young people be given merely symbolic representation, or will they also participate in decision-making? Can the Congress and its allies rise above their smaller political interests and develop a common programme connected to the everyday concerns of citizens?

The discussion about distance from CJP, followed by Rahul Gandhi's public support for its detained leaders, the unease surrounding AAP, the Samajwadi Party's alleged objection to Chandrashekhar Azad and the prominence given to Neha Bora all point towards one broader reality. The opposition is not merely building a front against the government. It is also attempting to determine the leadership and character of its next political phase. But the success of an alliance cannot be measured by how many leaders sit around the same table. It is measured by whether they can leave that table and move in the same direction.

The high-tea meeting at Rahul Gandhi's residence may help shape political equations, bring new faces to the forefront and temporarily set aside old differences. But the opposition's real test will not be standing together in front of cameras. It will be whether its leaders can work together without allowing calculations of individual political gain to take precedence over their shared objectives.



मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान (मामा) अपनी ही पार्टी की डॉ. मोहन यादव सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ खुलकर मोर्चे पर आ गए हैं। सीहोर जिले के ग्राम कोसमी (जो शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा और उनके पूर्व विधानसभा क्षेत्र बुधनी के अंतर्गत आता है) में गरीब आदिवासी परिवारों के घरों पर चलाए गए प्रशासन के बुलडोजर और अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद यह विवाद चरम पर पहुंच गया है। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवराज के संसदीय क्षेत्र बुधनी विधानसभा के कोसमी गांव में वन विभाग और प्रशासन द्वारा आदिवासियों के घरों पर बुलड़ोजर चलाने पर शिवराज भड़क गए और धरने पर बैठ गए। कोसमी गांव गरीब परिवारों के आशियाने उजड़ने, उनकी फसलें नष्ट होने और पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले कुएं को मिट्टी से भर दिए जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। इसके साथ मौके पर वन विभाग और प्रशासन के किसी भी बड़े अधिकारी के मौजूद नहीं होने पर भी शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई। ग्राम कोसमी में बेघर हुए बरेला आदिवासी समुदाय के परिवारों के बीच पहुंचे शिवराज सिंह चौहान का गुस्सा वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों पर फूट पड़ा। उन्होंने घटनास्थल से ही मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भी फोन कर गरीब परिवारों के घर तोड़े जाने की जानकारी दी। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं रूकने पर शिवराज सिंह चौहान धरने पर बैठ गए। इस मामले में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी चर्चा करेंगे।



मलबे और टूटी छप्परों के बीच रोते-बिलखते आदिवासियों को गले लगाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को 'नरपिशाच' तक कह दिया। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी संवेदनहीन हो चुके हैं और जानबूझकर गरीब, असहाय आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने खुलासा किया कि उन्होंने पहले ही स्थानीय कलेक्टर और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वर्षों से काबिज इन गरीब परिवारों को बेदखल न किया जाए, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने साफ शब्दों में कहा कि गरीब परिवारों को बेघर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं, उनके लिए नए घर बनवाए जाएंगे। साथ ही, जब तक उनके रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक उनके रहने और खाने-पीने की अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्रवाई में केवल घर ही नहीं टूटे, बल्कि पीड़ित परिवारों की आजीविका पर भी चोट पहुंची है। मक्के और तुअर की फसलें पूरी तरह नष्ट किए जाने और सिंचाई और पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले कुएं को भी मिट्टी से भर दिए जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा विरोध जताया। गरीब परिवारों के सामने घर, भोजन और पानी

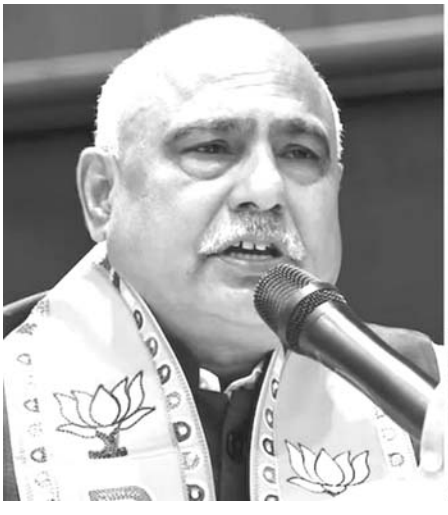






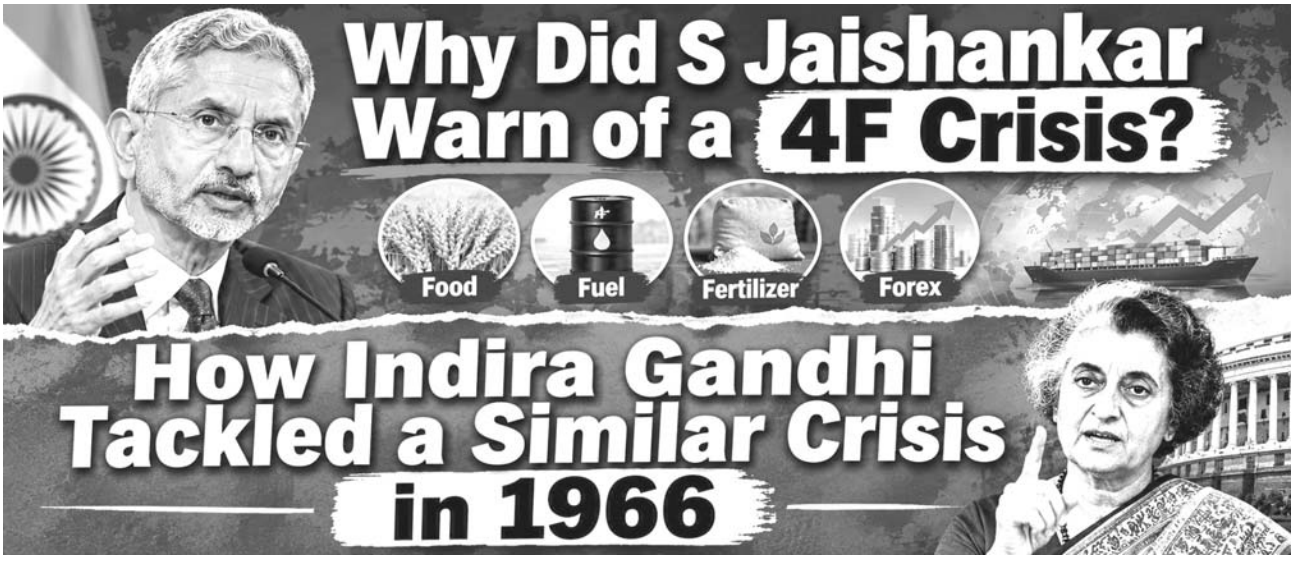
जैसी बुनियादी जरूरतों का संकट खड़ा होने के बीच उन्होंने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। शिवराज सिंह चौहान के तेवरों से साफ है कि गरीब परिवारों के घर उजाड़ने के इस मामले को वो गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आवास और तत्काल राहत दिलाने का भरोसा दिया है। इससे पहले भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये पर सरकार को घेरा था। कोर कमेटी की बैठक में उन्होंने सीहोर कलेक्टर द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने का मुद्दा उठाते हुए ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही, सीहोर के कोसमी गांव में आदिवासियों के घरों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई पर तीखा आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्होंने साफ किया कि गरीबों के साथ इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

विदित हो कि पीड़ित परिवारों के साथ धरने पर बैठते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कार्रवाई केवल आदिवासियों पर हमला नहीं है, बल्कि सरकार की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ये गरीब आदिवासी परिवार वर्षों से भाजपा के निष्ठावान वोटर रहे हैं। इन्हीं के जनादेश की वजह से आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है और डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं। कुछ अफसर अपनी मनमानी से मुख्यमंत्री





और सरकार की बदनामी कराने पर तुले हैं। मैं इस अन्याय पर चुप नहीं रहूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने मौके से ही मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल और भाजपा प्रदेश नेतृत्व से फोन पर बात कर अपनी सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने घोषणा की कि बेघर हुए सभी परिवारों के लिए नए घर बनवाए जाएंगे और तब तक उनके भोजन व रहने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने मध्य प्रदेश में 'शिवराज बनाम मोहन यादव' की सियासी खींचतान को उजागर कर दिया है। राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र में मंत्री बनने और मध्य प्रदेश की सत्ता का हस्तांतरण होने के बाद राज्य के प्रशासनिक अमले में पूर्व सीएम के निर्देशों की हो रही अनदेखी से शिवराज सिंह चौहान असहज महसूस कर रहे थे। हाल ही में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी केंद्रीय नेताओं के सामने नौकरशाही द्वारा प्रोटोकॉल और सुनवाई न करने का मुद्दा उठा था। बता दें कि बुधनी/सीहोर का क्षेत्र शिवराज सिंह चौहान का पारंपरिक राजनीतिक गढ़ माना जाता है। अपने ही संसदीय क्षेत्र के कोसमी गांव में वन विभाग द्वारा 10 से अधिक आदिवासी परिवारों की फसलें नष्ट करने, झोपड़ियां गिराने और कुओं को मिट्टी से भरने की कार्रवाई ने उनके राजनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय जनाधार पर सीधा असर डाला। वही इस घटना के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा की अंदरूनी खींचतान और 'मोहन-मामा' की आपसी लड़ाई की सजा गरीब आदिवासियों को भुगतनी पड़ रही है। एक तरफ आदिवासियों के सम्मान के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी गाढ़ी कमाई पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपनी ही सरकार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का धरने पर बैठना मध्य प्रदेश भाजपा के भीतर गहरी अंदरूनी खींचतान की ओर इशारा करता है। जहां शिवराज सिंह चौहान ने इसे अधिकारियों की नाफरमानी और मुख्यमंत्री की बदनामी की साजिश बताया है, वहीं इस घटना ने मोहन यादव सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती खड़ी कर दी है।



External Affairs Minister S Jaishankar has issued a serious warning about the fragile situation facing the Global South, or developing countries. He highlighted the risks posed by what is being described as the '4F crisis' — Fuel, Food, Fertilizer and Finance. His warning has sparked discussions on social media about whether India could once again face a food or fuel crisis. India's current situation, however, is very different from the food shortages it experienced in the 1960s. During the 1965 India-Pakistan war, the country faced a severe grain shortage, forcing then Prime Minister Lal Bahadur Shastri to make an emotional appeal to citizens to give up one meal a week.

At the time, India depended heavily on food imports from the United States, with grain shipments arriving regularly. The country was often described as having a 'ship-to-mouth' economy, reflecting its dependence on imported food supplies. More than six decades later, India has built substantial foodgrain reserves, with rice stocks reportedly exceeding three times the emergency requirement. Why, then, is the External Affairs Minister warning about food security and the broader 4F crisis? Understanding the four components helps explain the concern.

A Lesson from History: Indira Gandhi's Resolve in 1966

During the severe drought of 1966, India faced significant pressure over its dependence on imported foodgrains. US President Lyndon B Johnson reportedly delayed wheat shipments to India, highlighting the vulnerability created by dependence on external food supplies.

Then Prime Minister Indira Gandhi had to engage with the US administration over the country's food requirements. After a conversation with the American President, Gandhi is said to have told her colleagues: "I don't ever want us to have to beg for food again" This determination helped strengthen the push towards agricultural self-reliance. The Green Revolution, supported by improved seeds, irrigation, fertilisers and agricultural policies, subsequently transformed India's foodgrain production and reduced its dependence on food imports. The experience became an important lesson in the relationship between national security and food security.

What Does Jaishankar's 4F Crisis Warning Mean for India?

Jaishankar's warning about the 4F crisis should not automatically be interpreted as a prediction of imminent hunger or a nationwide fuel shortage in India.

Rather, it highlights the interconnected nature of global risks. A disruption in energy supplies can increase fertiliser production costs, raise agricultural expenses and push up food prices. At the same time, higher import bills can put pressure on a country's finances. India's experience in the 1960s demonstrated the risks of excessive dependence on external food supplies. The Green Revolution subsequently strengthened domestic food production, but changing global conditions continue to make energy security, fertiliser availability, resilient supply chains and financial stability essential to sustainable development.

The central lesson is that food reserves and domestic production are important safeguards, but long-term economic security also depends on the reliable availability of fuel, fertilisers and finance.



योगी का अखिलेश को खुला चैलेंज!

उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव की चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्हें अयोध्या से सीधा चुनाव लड़ने का खुला प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री ने सपा के 'पीडीए' का नया मतलब 'प्रदेश डुबाऊ अलायंस' बताते हुए विपक्ष पर तुष्टिकरण, घोटालों और अराजकता को बढ़ावा देने का जोरदार हमला बोला। योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव उनके साथ अयोध्या से नामांकन दाखिल करें और जनता के दरबार में किस्मत आजमाएं। मुख्यमंत्री ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि 'बबुआ' बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, अयोध्या हमारा पावन धाम और आस्था की स्थली है। मैं वहां बार-बार इसलिए जाता हूं ताकि विकास कार्यों में कोई कोताही न रहे। जिस अयोध्या को सपा शासन में तीन-चार घंटे बिजली मिलती थी और जय श्रीराम बोलने पर प्रतिबंध था, वही अयोध्या आज राम राज्य के नए उदाहरण के रूप में त्रेता युग का स्मरण करा रही है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि आइए, आप भी अयोध्या से नामांकन करिए और मैं भी। लड़ाई चेलों से नहीं, बल्कि आमने-सामने होनी चाहिए। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने और उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने वाले हमसे क्या लड़ेंगे! जनता इनकी छुट्टी कर चुकी है और आगामी चुनाव परिणाम फिर 80-20 का होगा, जिसमें 80 फीसदी सीटें भाजपा के एनडीए को मिलेंगी।

गौरतलब है कि सपा के बहुचर्चित 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' और 'प्रदेश डुबाऊ अलायंस' करार दिया। उन्होंने कहा कि हालिया राज्यसभा चुनाव में सपा ने किसी दलित, पिछड़े, ब्राह्मण या वैश्य को टिकट नहीं दिया। एक सीट अपने 'चचाजान' (रामगोपाल यादव) को दी और दूसरी सीट एक धन्ना सेठ को बेच दी। सीएम ने आरोप लगाया कि सपा ने युवाओं की नौकरियों पर डकैती डाली और बलरामपुर को देश का सबसे गरीब जिला बनाकर छोड़ दिया था। वही सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि बीमारियों, इंसेफेलाइटिस, तस्करी और अराजकता ही सपा की असली पहचान थी। उन्होंने साफ किया कि अब सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी भारत-विरोधी गतिविधि, तस्करी या डेमोग्राफी बदलने की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



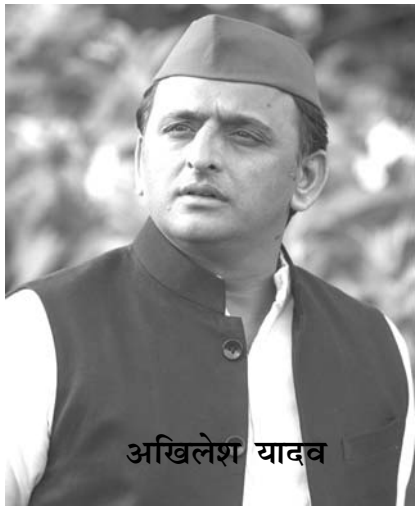
दंगाई और अराजक तत्व यह जान लें कि बेटी की सुरक्षा या प्रदेश की शांति से खिलवाड़ करने वालों का ठिकाना केवल जेल या जहन्नुम होगा। उन्होंने कहा कि अब राज्य में कोई छांगुर भी नहीं पनप पाएगा। वही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का कायाकल्प हुआ है, लेकिन राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और विंध्यवासिनी कॉरिडोर का विरोध करने वाले लोग अब बेशर्मी और गाली-गलौज पर उतर आए हैं। जब ये चुनाव हारते हैं, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए ईवीएम, प्रशासन, न्यायालय और चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करने लगते हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले सरकारी पैसों का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल बनाने और दंगाइयों को प्रोत्साहित करने में किया जाता था। आज वही पैसा सनातन धर्म के प्रमुख स्थलों के पुनरुद्धार और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने में खर्च हो रहा है। अकेले बलरामपुर में पिछले 10 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

यूपी में प्रियंका की भूमिका को लेकर उठते सवाल

● स्वदेश कुमार (वरिष्ठ पत्रकार)

उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर साल 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर भले ही बाहर से 'इंडिया' गठबंधन के अटूट होने का ढिंढोरा पीटा जा रहा हो, लेकिन परदे के पीछे जो कुछ पक रहा है, वह किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। सतह पर मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी से होना चाहिए, पर कांग्रेस के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है मानो उनका असली निशाना भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव हैं। दिल्ली के पावर गलियारों से लेकर लखनऊ के दफ्तरों तक, कांग्रेस जिस आक्रामक और जिद भरी शैली में जमीन मांग रही है, उसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा 2027 के इस बड़े दंगल में बीजेपी को शिकस्त देने के बजाय समाजवादी पार्टी की सियासी जमीन पर कब्जा करने की कोई सुनियोजित स्क्रिप्ट लिख रही हैं? इस पूरी पटकथा


प्रियंका गांधी वाड्रा


अखिलेश यादव

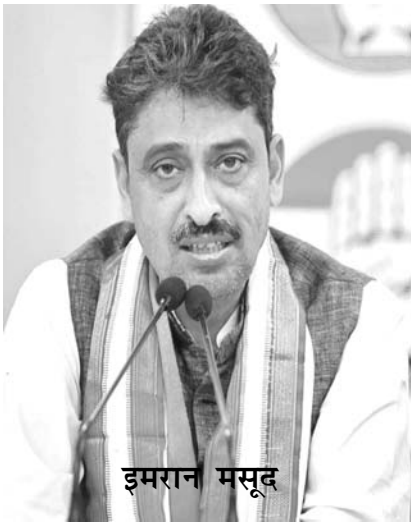
की टाइमिंग और चेहरों को गौर से देखा जाए तो कई राज से पर्दा उठता है। संसद भवन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद से ही यह साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम राजनीतिक और सांगठनिक फैसलों की धुरी पूरी तरह प्रियंका गांधी के हाथों में है। इस महत्वपूर्ण बैठक के तुरंत बाद जमीन पर जो बड़े फेरबदल हुए, वे किसी सामान्य प्रशासनिक बदलाव का हिस्सा नहीं बल्कि एक बड़े सियासी गेम प्लान का हिस्सा थे। कांग्रेस ने अपने आक्रामक तेवरों को धार देने के लिए ऐसे चेहरों को आगे करना शुरू कर दिया जो सीधे तौर पर सपा को असहज करने के लिए जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, तो वहीं तेज-तर्रार और हमेशा मुखर रहने वाले सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके साथ ही, सौम्य छवि वाली आराधना मिश्रा 'मोना' को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देकर इस नई तिकड़ी को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने इसके जरिए सवर्ण, दलित और मुस्लिम समीकरण साधने की कागजी कोशिश तो जरूर की, लेकिन इनके बयानों ने गठबंधन के भीतर भूचाल ला दिया है।


अखिलेश यादव राहुल गांधी

लखनऊ की धरती पर कदम रखते ही नवनियुक्त प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि कांग्रेस कोई छोटी-मोटी पार्टी नहीं है और वह आगामी विधानसभा चुनाव में आधे से कम सीटों पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। उनके इस बयान के बाद इमरान मसूद ने तो जैसे मोर्चा ही खोल दिया। वह हर रोज मीडिया के तीखे कैमरों के सामने अखिलेश यादव की रणनीति, कार्यशैली और सीटों के बंटवारे पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। यहाँ आंकड़ों के आईने में कांग्रेस के इन दावों की हकीकत भी टटोलनी बेहद जरूरी हो जाती है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों को अगर हम याद करें, तो


राजेंद्र पाल गौतम


आराधना मिश्रा मोना


इमरान मसूद

जब अखिलेश यादव ने बड़े दिल का परिचय देते हुए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 सीटें दी थीं, तब कांग्रेस इनमें से सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत का स्वाद चख पाई थी। इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी ने अकेले अपने दम पर 37 सीटों पर शानदार परचम लहराकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने का लोहा मनवाया था। लोकसभा चुनाव के इस जमीनी और बेहद कड़वे आंकड़े को पूरी तरह दरकिनार करके यदि कोई दल विधानसभा चुनाव में डेढ़ सौ सीटों की मांग या अत्यधिक दबाव की राजनीति करे, तो इसे सियासी नासमझी कहें या कोई गहरी साजिश? दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेताओं की इस लगातार बयानबाजी और खुले हमलों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। वह खुद सीधे तौर पर इन बयानों पर कुछ कहने से बच रहे हैं और अपनी पार्टी के अन्य नेताओं या प्रवक्ताओं के जरिए नपा-तुला पलटवार करवा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव की यह खामोशी उनकी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बेहद सोची-समझी और परिपक्व रणनीति है। वह अच्छी तरह भांप चुके हैं कि यदि उन्होंने इस वक्त कोई भी तीखा या आक्रामक पलटवार किया, तो सारा ठीकरा विपक्षी कलह पर फूट जाएगा और बीजेपी को इसका सीधा राजनीतिक फायदा मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद, सपा के अंदरखाने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में इस बात को लेकर जबरदस्त उबाल है कि जिस पार्टी का खुद का जनाधार यूपी में लगातार सिमट चुका है, वह इतनी बड़ी हैसियत की मांग किस बिना पर कर रही है।

कांग्रेस की यह जिद और अकेले दम पर अपनी शर्तों पर राजनीति करने की आदत कोई नई नहीं है। इसके इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ऐसी कई मिसालें मिलेंगी जहाँ कांग्रेस ने अपने ही सहयोगियों की लुटिया डुबोई है और गठबंधन धर्म को तार-तार किया है। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के इतिहास को ही देख लीजिए, तब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सम्मानजनक रूप से 105 सीटें दी थीं, लेकिन कांग्रेस ने जिद पकड़कर 114 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि गठबंधन का पूरा चुनावी माहौल खराब हो गया और अंततः बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बना ली। यही नहीं, साल 2022 के विधानसभा चुनावों में जब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सभी 403 सीटों पर अकेले ताल ठोकी थी, तब पार्टी का ऐसा सूपड़ा साफ हुआ कि रायबरेली और अमेठी जैसी पारिवारिक वीआईपी सीटों पर भी जमानतें खतरे में पड़ गई और कुल वोट शेयर सिमटकर महज 2.34 प्रतिशत पर आ गया। इतने बड़े धक्के के बाद भी यदि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्षेत्रीय दलों के साथ टकराव का रास्ता अपनाता है, तो यह उसकी राजनीतिक अपरिपक्वता को ही उजागर करता है। कांग्रेस की इस प्रवृत्ति का असर केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी 'इंडिया' गठबंधन के भीतर इसकी कई बानगी देखने को मिल चुकी है। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान भी अंतिम समय तक सीट बंटवारे को लेकर चली अंतहीन खींचतान के चलते राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी आपस में ही 'फ्रेंडली फाइट' के नाम पर खुलकर भिड़ गए और उसका खामियाजा पूरे विपक्ष को उठाना पड़ा। ठीक इसी तरह, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी क्षेत्रीय दलों के साथ ऐसा ही असहयोग वाला बर्ताव देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के चक्कर में सहयोगियों की जीत की संभावनाओं को भी पूरी तरह पलीता लगा दिया।


प्रियंका गांधी वाड्रा

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल हिंदी भाषी राज्य में, जहाँ बीजेपी जैसी मजबूत, अनुशासित और संसाधनों से लैस राजनीतिक मशीनरी से दो-दो हाथ करना है, यदि विपक्ष के भीतर ही सीटों के गणित और अहंकार को लेकर ऐसी तलवारें खिंची रहीं, तो यह मुकाबला परवान चढ़ने से पहले ही दम तोड़ देगा। बहरहाल, आराधना मिश्रा को आगे कर कांग्रेस भले ही रिश्तों में नरमी और समन्वय का दिखावा कर रही हो, लेकिन इमरान मसूद और राजेंद्र पाल गौतम जैसे नेताओं के तीखे और आक्रामक तेवर यह चीख-चीखकर बता रहे हैं कि 2027 के रण से पहले सीट शेयरिंग का यह दंगल अभी और भयानक रूप लेने वाला है। क्या प्रियंका गांधी की परदे के पीछे की यह जिद बीजेपी के मजबूत विजय रथ को रोकने में मददगार साबित होगी या फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की इस नाव को बीच मझधार में ही डुबो देगी, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल, उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में एक ही सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि क्या कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से कोई सबक सीखेगी या फिर अपने ही सहयोगियों का भरोसा कुचलकर खुद को पूरी तरह हाशिए पर धकेल देगी?●



राज्यसभा में सपा के दो पत्ते खुले

तीसरी सीट ने बढ़ाई बेचैनी

● **संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार)**

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार बड़ा सवाल यह नहीं होता कि किसके पास कितने विधायक हैं, बल्कि यह होता है कि उन विधायकों के बीच आखिरी समय तक कौन अपनी रणनीति कितनी मजबूती से निभा पाता है। राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव ने एक बार फिर यही सवाल सामने खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने 30 सितंबर को रामगोपाल यादव के साथ धनराज परिमल नथवानी को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले में नया कोण जोड़ दिया है। नथवानी का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनकी पहचान पारंपरिक समाजवादी राजनीति से नहीं, बल्कि उद्योग और खेल प्रशासन से जुड़ी रही है। अब चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, अतिरिक्त वोटों की तलाश और राजनीतिक संदेश का भी बन गया है। सबसे पहले गणित समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 397 है। राज्यसभा की एक सीट के लिए प्रथम वरीयता के 37 वोट चाहिए। सपा के 101 विधायक हैं और कांग्रेस के दो विधायकों को जोड़ने पर संख्या 103 हो जाती है। दो उम्मीदवारों के लिए 74 वोट चाहिए। यानी सपा-कांग्रेस के पास 29 वोट अतिरिक्त बचते हैं। लेकिन तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए 37 वोट चाहिए होंगे। मतलब साफ है तीसरी सीट के लिए कम से कम आठ और वोट जुटाने होंगे। यही आठ वोट इस पूरे चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण संख्या बन चुके हैं।

अखिलेश यादव एवं धनराज नथवानी



दूसरी तरफ भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 289 विधायकों का संख्या बल बताया गया है। इस आधार पर सात सीटें सुरक्षित करने के बाद भी उसके पास अतिरिक्त वोटों का बड़ा आधार बचता है। इसलिए मौजूदा गणित में आठ सीटें भाजपा के लिए और दो सीटें सपा के लिए मजबूत स्थिति में दिखाई देती हैं। दसवीं सीट तभी संघर्ष का मैदान बनती है जब कोई पक्ष अपने तय हिस्से से आगे जाने के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाने की कोशिश करे। यही वजह है कि अब हर विधायक की राजनीतिक स्थिति और हर सहयोगी दल का रुख चर्चा का विषय बन गया है। सपा ने नथवानी को मैदान में उतारकर इसी गणित के बीच अपना संदेश दिया है। धनराज परिमल नथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े रहे हैं और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पिता परिमल नथवानी भी रिलायंस से जुड़े रहे हैं और झारखंड से राज्यसभा सदस्य हैं। धनराज नथवानी की सार्वजनिक पहचान कॉरपोरेट क्षेत्र, क्रिकेट और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों से बनी है। इसलिए उनका उत्तर प्रदेश से सपा उम्मीदवार बनना सामान्य राजनीतिक टिकट वितरण से अलग जरूर दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे पार्टी की अंतिम रणनीति क्या है, इसका आकलन केवल उनकी पेशेवर पृष्ठभूमि के आधार पर करना जल्दबाजी होगा।

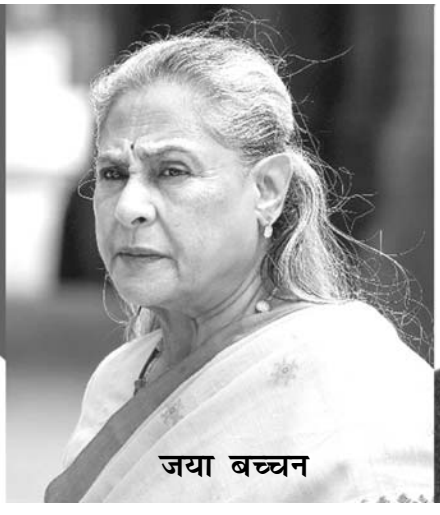
यहां सपा के पुराने फैसलों को भी याद करना जरूरी है। पार्टी ने पहले भी उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों पर ऐसे लोगों को



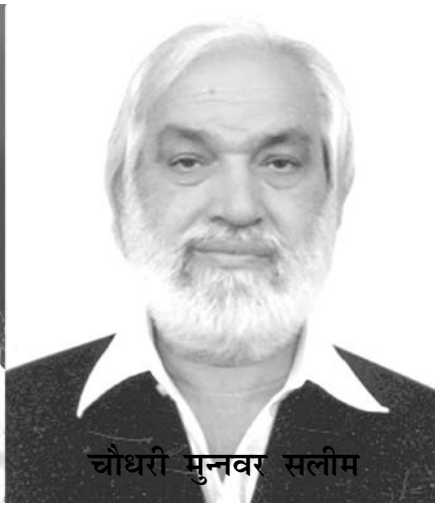




किरणमय नंदा



जया बच्चन



चौधरी मुन्नवर सलीम

भेजा है जिनकी पहचान राज्य की जमीनी राजनीति से अलग रही। जया बच्चन इसका प्रमुख उदाहरण हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े किरणमय नंदा और मध्य प्रदेश के विदिशा से जुड़े मुन्नवर सलीम भी सपा के जरिए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे। इसलिए नथवानी का चयन पार्टी के इतिहास में पूरी तरह नया प्रयोग नहीं कहा जा सकता। नया जरूर यह है कि इस बार कॉरपोरेट और खेल प्रशासन की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला ऐसे समय हुआ है, जब 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक जमीन तैयार हो रही है। यहीं से पीडीए की राजनीति का सवाल भी उठता है। सपा ने पिछले वर्षों में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को अपनी राजनीतिक रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बनाया है। ऐसे में नथवानी की उम्मीदवारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है कि पार्टी अपने सामाजिक समीकरण के साथ कॉरपोरेट पृष्ठभूमि के इस चेहरे को किस तरह जोड़ती है। लेकिन राज्यसभा की राजनीति केवल जातीय प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं होती। उम्मीदवार का संसदीय उपयोग, सार्वजनिक संपर्क, पेशेवर अनुभव और राजनीतिक पहुंच भी दलों के फैसलों में भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए इस चयन का अंतिम राजनीतिक अर्थ पार्टी के अगले कदमों से ही स्पष्ट होगा।

अब असली कहानी तीसरे उम्मीदवार की है। सपा ने तीसरे नाम को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पार्टी के भीतर इसे लेकर चर्चा लगातार चल रही है। पिछले दिनों दलित चेहरे को तीसरे उम्मीदवार के रूप में उतारने की संभावनाओं की खबरें सामने आई थीं। यदि ऐसा होता है तो सपा एक साथ संख्या और सामाजिक संदेश, दोनों को साधने की कोशिश करेगी। लेकिन 29 अतिरिक्त वोटों से 37 तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। आठ वोटों की कमी छोटी दिखाई देती है, पर राज्यसभा चुनाव में यही अंतर निर्णायक हो सकता है। भाजपा के लिए भी चुनौती अलग नहीं है। यदि आठवीं सीट के बाद अतिरिक्त मुकाबला बनता है तो उसे भी अपने अतिरिक्त वोटों को एकजुट रखना होगा। छोटे सहयोगी दलों और गठबंधन से बाहर के विधायकों की भूमिका बढ़ेगी। ऐसे चुनावों में क्रॉस वोटिंग की चर्चा स्वाभाविक है, लेकिन चर्चा और वास्तविक मतदान के बीच बड़ा अंतर होता है। 2024 के राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने दिखाया था कि अतिरिक्त सीट के लिए संख्या बल से अधिक महत्वपूर्ण अंतिम समय का प्रबंधन हो सकता है। इस बार भी किसी संभावित क्रॉस वोटिंग को पहले से तय मान लेना राजनीतिक गणित को अटकल में बदल देगा। इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक महत्व यही है कि यह 2027 से पहले दोनों प्रमुख खेमों के संगठनात्मक प्रबंधन की परीक्षा बन गया है। राज्यसभा का परिणाम विधानसभा चुनाव का भविष्य तय नहीं करेगा, लेकिन यह जरूर दिखाएगा कि कौन अपने विधायकों और सहयोगियों को कितनी मजबूती से साथ रख पाता है। रामगोपाल यादव सपा की स्थापित संसदीय राजनीति का चेहरा हैं और धनराज नथवानी एक बिल्कुल अलग पेशेवर दुनिया से आते हैं। इन दोनों नामों का साथ आना अपने आप में सपा की रणनीति में विविधता दिखाता है। अब तीसरा नाम इस तस्वीर को और स्पष्ट करेगा। 6 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख है और 16 अक्टूबर को मतदान। तब 103 बनाम 37 का कागजी गणित वास्तविक मतपत्र पर उतरेगा। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों की लड़ाई में असली कहानी सीटों की संख्या से ज्यादा उन अतिरिक्त वोटों की है, जिनके लिए दोनों खेमे अंतिम दिन तक राजनीतिक गणित साधेंगे।●



लखनऊ के हजरतगंज इलाके में 9 अक्टूबर 2026 की रात बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर युवा कारोबारी शिवा शर्मा (लगभग 28 वर्ष) की मौत हो गई। शिवा अलीगंज निवासी थे और चिकन कारोबार तथा कैफे/रेस्तरां चलाते थे। उनकी मौत को शुरू में संदिग्ध परिस्थितियों वाला गिरने का मामला माना गया, लेकिन परिवार के आरोपों के बाद इसे हत्या का मुकदमा बना दिया गया। बता दें कि शिवा अपनी लिव-इन पार्टनर मॉडल-इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे के फ्लैट में रह रहे थे। दोनों करीब 3-4 महीने से साथ थे। परिवार का आरोप है कि श्रद्धा, उनकी बहन रश्मि दुबे, ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश और कुछ अन्य लोगों ने शिवा को यातना दी, धमकी दी और चौथी मंजिल से धक्का देकर हत्या कर दी। शिवा के शरीर पर लिपस्टिक के निशान, सिगरेट जलाने के निशान और अन्य चोटें मिलने की रिपोर्ट आई। उनकी मां रंजना शर्मा की शिकायत पर 10 अक्टूबर को हजरतगंज थाने में हत्या का एफआईआर दर्ज हुआ। श्रद्धा दुबे ने वीडियो बयानों में दावा किया कि यह आत्महत्या थी। उनके अनुसार शिवा 15-20 लाख रुपये के कर्ज में थे, तनाव में थे और खुद बालकनी से कूद गए। उन्होंने कहा कि वे निर्दोष हैं और पुलिस के सामने बयान देना चाहती हैं। पुलिस इन दावों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम से गिरने से हुई चोटों की पुष्टि हुई, लेकिन धक्का दिया गया या खुद कूदे, यह अभी जांच का विषय है।





गौरतलब है कि घटना के बाद श्रद्धा, बहन रश्मि और ड्राइवर फरार हो गए। वे नेपाल बॉर्डर की तरफ गए, बाद में लौटकर महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे। पुलिस ने शुरू में 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया, जिसे बाद में 50-50 हजार रुपये कर दिया गया। 20 अक्टूबर 2026 को यूपी एसटीएफ और लखनऊ पुलिस की टीम ने नागपुर पुलिस की मदद से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। 150 कैमरों की जांच पड़ताल के साथ उत्तर प्रदेश एसटीएफ, लखनऊ पुलिस और नागपुर क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में श्रद्धा के साथ उनकी बहन रश्मि दुबे और दानिश उर्फ तनवीर अली को भी गिरफ्तार किया गया है। यह तीनों को नागपुर के चिंचभवन क्षेत्र में स्थित एक अपार्टमेंट के अंदर से छुपे हुए थे, करीब 11 दिनों से कड़ी मशक्कत के बाद नागपुर में श्रद्धा दुबे उनकी बहन रश्मि और दानिश पुलिस के हत्थे चढ़ गये। पुलिस की जांच में नागपुर तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज की अहम भूमिका रही है। चकमा देकर फरार हो रही श्रद्धा तक पहुंचने के लिए लखनऊ पुलिस और नागपुर पुलिस ने मिलकर करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाला। पुलिस की पैनी नजर उन रास्तों और स्थानों पर थी, जहां से गुजरते हुए आरोपी नागपुर में अपने ठिकाने तक पहुंचे थे। जांच के दौरान गणेशपेठ इलाके से ई-रिक्शा लेने से जुड़ा सुराग मिला। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए सभी मार्गों की सीसीटीवी फुटेज



खंगालनी शुरू की। कैमरों में लह आते-जाते दिखाई दिए और पुलिस के पास उपलब्ध सूचनाओं को आपस में जोड़कर पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया। इसी सुराग के आधार पर जांच टीम चिंचभवन इलाके के उस अपार्टमेंट में पहुंची जहां तीनों के होने की जानकारी मिली। रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के साथ इंटरनेट रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियों और स्थानीय स्तर पर मिली सूचनाओं का भी सहारा लिया। यह पूरा मामला लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट में 9 अक्टूबर 2026 को हुई शिवा शर्मा की मौत से जुड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक, 28 वर्षीय शिवा शर्मा अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से नीचे गिर गए थे। उनकी मौत के बाद घटना को लेकरतमाम तरह के सवाल उठ रहें थे, जिसके बाद यह मामला हत्या के आरोपों तक पहुंच गया। शिवा की मां रंजना शर्मा ने बेटे की मौत को हादसा या सुसाइड मानने से इंकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के



आधार पर हजरतगंज थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए श्रद्धा दुबे और उसके सहयोगियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। शिवा की मौत के मामले में श्रद्धा दुबे को मुख्य आरोपी के रूप में तलाशा जा रहा था। इसी दौरान उनकी बहन रश्मि दुबे और दानिश का नाम भी जांच के दायरे में आया। हालांकि, शिवा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसमें किसकी क्या भूमिका रही है, यह



पुलिस पूछताछ के बाद से साफ हो पायेगा। कई राज्यों में तलाश के बाद नागपुर में मिली यह सफलता जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

विदित हो कि पूछताछ में श्रद्धा ज्यादातर सवालों पर चुप्पी साध रही हैं और वकील से बात करने की बात कह रही हैं। जांच में श्रद्धा के कुछ हिस्ट्रीशीटरों और अंडरवर्ल्ड से जुड़े नामों से संबंधों के दावे सामने आए हैं। परिवार ने ब्लैकमेलिंग और धमकी के आरोप भी लगाए हैं। फ्लैट के मालिकाना हक और अन्य कनेक्शनों की भी जांच हो रही है। ये आरोप अभी जांच के अधीन हैं और अदालत में साबित होने बाकी हैं। इस मामले में एक और अहम पहलू यह है कि गिरफ्तारी से पहले श्रद्धा दुबे सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी बात रख चुकी थीं। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और शिवा की मौत को आत्महत्या। उन्होंने दावा किया था कि से शिवा पर कर्ज था, आर्थिक दबाव के चलते उसने आत्महत्या की है। दूसरी ओर, शिवा की मां ने बेटे की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में मामले में दोनों पक्षों के दावों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच महत्वपूर्ण होगी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो, ऑडियो या अन्य सामग्री को भी तब तक निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता, जब तक उनकी प्रामाणिकता और प्रासंगिकता की पुष्टि जांच एजेंसियां नहीं कर देतीं। वही शिवा शर्मा की मौत का मामला सामने आने के बाद पुलिस की शुरुआती जांच को लेकर भी सवाल उठे थे। इस प्रकरण की गंभीरता बढ़ने के बीच लखनऊ पुलिस के कुछ अधिकारियों के तबादले और जिम्मेदारियों में बदलाव की खबरें भी सामने आई थीं। इसके बाद फरार आरोपितों की तलाश और मामले की जांच को लेकर पुलिस पर दबाव बढ़ गया। मामले में इन घटनाक्रमों का पूरा महत्व जांच की प्रगति और आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता आरोपितों को लखनऊ लाना, उनसे पूछताछ करना और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पुष्टि करना है।

बहरहाल, नागपुर में गिरफ्तारी के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया तीनों आरोपितों को उत्तर प्रदेश ले जाने की है। इसके लिए पुलिस संबंधित अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। ट्रांजिट रिमांड मिलने पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ और लखनऊ पुलिस उन्हें अपने साथ ले जा सकेंगी। लखनऊ पहुंचने के बाद पुलिस शिवा शर्मा की मौत से जुड़े घटनाक्रम, आरोपितों की गतिविधियों, आपसी संबंधों और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ कर सकती है। सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों का मिलान भी जांच का अहम हिस्सा होगा। फिलहाल इस मामले में गिरफ्तारी को जांच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, शिवा शर्मा की मौत के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं, घटना में किसकी क्या भूमिका थी और आरोपों की पुष्टि किन साक्ष्यों से होगी।

Haridwar Kumbh-2027 to Gain New Identity as Uttarakhand CM Dhami Unveils Logo, Website and Anthem



With the aim of showcasing the religious, spiritual and cultural identity of Haridwar Kumbh Mela-2027 on a wider platform, Chief Minister Pushkar Singh Dhami on Monday unveiled the official logo, website and anthem of the Kumbh. These three initiatives mark an important step towards taking the unique identity of Kumbh to audiences across India and the world, making event-related information accessible through digital platforms, and spreading the message of the upcoming Kumbh among the masses.

Addressing a programme organised at the auditorium of the Mela Control Building (CCR) on Monday, Chief Minister Pushkar Singh Dhami unveiled the official logo, website and anthem of Kumbh-2027. He said that Kumbh is a grand celebration of India's ancient spiritual traditions, Sanatan culture and collective faith. Haridwar Kumbh holds special religious significance for millions of devotees. The state government is committed to organising a divine and grand Kumbh Mela-2027. All necessary arrangements will be ensured to make the event safe, well-organised and convenient for pilgrims. He added that the official logo, website and anthem would effectively showcase the identity of Kumbh and play an important role in connecting devotees and the general public with the event.



Official Logo Reflects Haridwar's Religious and Cultural Heritage

The official logo of Haridwar Kumbh-2027 brings together the religious identity of Haridwar, reverence for the River Ganga and the distinctive features of Sanatan traditions. It depicts Maa Ganga, the Har Ki Pauri area, the Dhanush Bridge and the divine glow of sunrise. The logo also features a statue of Lord Shiva, saints and ascetics, the Trishul and Damru—symbols associated with Sanatan traditions—as well as the hills of Maa Mansa Devi and Maa Chandi Devi.

These symbols collectively reflect Haridwar's spiritual significance and the cultural heritage of Kumbh. The logo can be used across promotional materials, publications and digital platforms associated with the event. It will help establish a consistent visual identity for Kumbh and bring greater coherence to its publicity and promotional activities. To design the logo for Kumbh Mela-2027, the Mela administration had invited entries from young people and students across Uttarakhand. After review-





ing hundreds of submissions, the selection committee considered 13 outstanding and original designs and selected the best entry submitted by Madhu Sharma, a resident of Vikas Colony, Jagjeetpur, Haridwar. The official logo of Haridwar Kumbh-2027 was finalised on the basis of her design.

Official Website to Ensure Easy Access to Kumbh-Related Information

The official website of Kumbh Mela-2027, https://haridwarkumbh.uk.gov.in, will provide devotees, visitors and the general public with access to authentic information related to Kumbh. The availability of information through this digital platform will facilitate the systematic dissemination of event-related updates and help connect devotees living in different parts of India and abroad with the Kumbh. The website will make information about preparations and the event more accessible while providing a wider platform to showcase Haridwar's religious identity.

'Kumbh Ka Parv Aa Gaya' Anthem Captures Faith and Festivity

The unveiling of the official anthem of Kumbh Mela-2027 was one of the major highlights of the programme. Beginning with the lines, "Sadhu aur santon ke man mein harsh chha gaya, Kumbh ka parv aa gaya" (Joy has filled the hearts of saints and ascetics; the festival of Kumbh has arrived), the anthem captures the excitement surrounding the arrival of Kumbh, the enthusiasm of saints and ascetics, and the deep faith of devotees.

The song has been written, sung and composed by Raghav Raja, a singer from Haridwar. It aims to spread the message of the upcoming Kumbh among the masses and strengthen cultural engagement with the event. Music and devotional songs have long served as powerful expressions of public sentiment during religious celebrations. In this context, the official anthem is expected to play an important role in bringing the traditions, festive spirit and spiritual atmosphere of Kumbh closer to the people.

Combining the Dignity of Tradition with Modern Communication Platforms

Haridwar Kumbh-2027 presents a significant opportunity to showcase Uttarakhand's spiritual heritage, religious tourism and cultural identity on a wider platform. The official logo will provide a distinctive visual identity to the event, the website will facilitate the digital dissemination of information, and the anthem will express the emotions associated with the arrival of Kumbh. The coordinated use of these three platforms will help present the religious significance, cultural richness and traditions of Kumbh to a wider audience.

The use of modern communication platforms while preserving the spiritual dignity of age-old traditions will help take the message of Kumbh to national and international audiences. These initiatives will further strengthen the presentation of Haridwar's religious identity and the unique significance of Kumbh before devotees across India and around the world.

Cabinet Ministers and Senior Officials Attend the Unveiling Ceremony

Cabinet Ministers Ganesh Joshi, Shri Dhan Singh Rawat, Subodh Uniyal, Saurabh Bahuguna, Khajan Das, Bharat Singh Chaudhary, Madan Kaushik, Pradeep Batra and Ram Singh Kaida were present at the programme. Other dignitaries and officials present included Mela Officer Sonika, District Magistrate Mayur Dixit, SSP Navneet Bhullar, Director General of Information Banshidhar Tiwari, Chief Development Officer Dr. Lalit Narayan Mishra, Additional Mela Officer Dayanand Saraswati, Additional District Magistrate Jitendra Kumar, and Deputy Mela Officers Akash Joshi and Manjeet Singh, along with senior officials of the Mela and district administrations.

अन्नामलाई क्यों हुए भाजपा के खिलाफ?



तमिलनाडु की राजनीति में कभी दो नामों का दबदबा था-जयललिता और एम. करुणानिधि। दोनों के निधन के बाद राज्य की राजनीति में एक ऐसा खालीपन पैदा हुआ, जिसे भरने के लिए कई दावेदार मैदान में उतरे। इनमें एक नाम के. अन्नामलाई का भी था। पूर्व आईपीएस अधिकारी, आक्रामक भाषण शैली और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर तेवरों ने उन्हें भाजपा का सबसे चर्चित चेहरा बना दिया। लेकिन जिस राजनीतिक मैदान में अन्नामलाई खुद को अगला बड़ा विकल्प मान रहे थे, वहां अब अभिनेता से नेता बने विजय ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के सत्ता तक पहुंचने के बाद मुकाबले की तस्वीर बदल गई है। अन्नामलाई की चुनौती अब केवल पुरानी द्रविड़ राजनीति से नहीं, बल्कि एक नए जनाधार वाले नेतृत्व से भी है। जिस राजनीतिक शून्य को भरने का सपना अन्नामलाई ने देखा था, वहां विजय ने अपनी जगह बना ली।

गौरतलब है कि 5 जून 2026 को भाजपा छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने अपनी राजनीतिक यात्रा के लिए एक नया रास्ता चुना। उनका आंदोलन 'वी द लीडर्स' इसी महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। लेकिन किसी राष्ट्रीय पार्टी के मजबूत संगठन से निकलकर अपना राजनीतिक आधार खड़ा करना आसान नहीं होता। भाजपा में रहते हुए अन्नामलाई को पार्टी का संगठन, कार्यकर्ता और राष्ट्रीय नेतृत्व का समर्थन हासिल था। अब उन्हें अपना संगठन बनाना है, कार्यकर्ताओं को जोड़ना है और समर्थकों को चुनावी वोटों में बदलना है। खबरों के मुताबिक, आंदोलन ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन सदस्यता करीब 20 लाख तक पहुंचने की बात सामने आई है। यह संख्या अपने आप में अंतिम सफलता या असफलता का पैमाना नहीं है, मगर महत्वाकांक्षा और जमीनी संगठन के बीच की दूरी जरूर दिखाती है। स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवार उतारने की घोषणा और कोयंबटूर में अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स की शुरुआत इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। अन्नामलाई अब अपनी राजनीतिक तैयारी को लंबा खींचने के बजाय जल्दी जमीन पर परखना चाहते हैं।



बहरहाल, तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा और सत्ता का रिश्ता पुराना है। एम.जी. रामचंद्रन और जयललिता इसके बड़े उदाहरण रहे हैं। विजय का राजनीतिक उभार इसी परंपरा का नया अध्याय है, हालांकि हर दौर की परिस्थितियां अलग होती हैं। अन्नामलाई की ताकत उनकी प्रशासनिक पृष्ठभूमि, तथ्यों के साथ आक्रामक राजनीतिक हमले और भाजपा के माध्यम से मिली पहचान रही है। विजय की ताकत उनका विशाल प्रशंसक आधार, युवाओं के बीच लोकप्रियता और पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग विकल्प पेश करने की छवि है। यही अंतर दोनों की राजनीति को अलग बनाता है। अन्नामलाई को जनता के बीच अपनी लोकप्रियता



को संगठन में बदलना है। विजय को अपनी लोकप्रियता को शासन की विश्वसनीयता और राजनीतिक स्थिरता में बदलना है। विजय के सत्ता में आने से अन्नामलाई के सामने एक और चुनौती खड़ी हुई है। अब उन्हें केवल द्रमुक या भाजपा की राजनीति पर सवाल नहीं उठाने, बल्कि एक नई सरकार के सामने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान भी स्थापित करनी होगी।

विदित हो कि अन्नामलाई के हालिया बयानों ने भाजपा के साथ उनके रिश्तों में आई दूरी को और स्पष्ट किया है। 21 अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली में CJP के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए 2011 में नरेंद्र मोदी के उस बयान का उल्लेख किया, जिसमें तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री ने दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का विरोध किया था। अन्नामलाई ने सवाल उठाया कि लोकतंत्र में विरोध करने वालों को राष्ट्र-विरोधी या विदेशी एजेंट बताना कहां तक उचित है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को आलोचना का जवाब देने के बजाय विरोधियों को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि बाद में अन्नामलाई ने सीजेपी से दूरी बना ली। यह बदलाव महत्वपूर्ण है। भाजपा में रहते हुए अन्नामलाई पार्टी के आक्रामक राजनीतिक तेवरों के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। अब नागरिक स्वतंत्रता और विरोध के अधिकार पर उनका जोर उन्हें भाजपा से अलग पहचान बनाने का अवसर देता है। लेकिन इसमें राजनीतिक गणित भी हो सकता है। तमिलनाडु में अपनी स्वतंत्र जगह बनाने के लिए उन्हें यह साबित करना होगा कि वे भाजपा के विस्तार की रणनीति का हिस्सा भर नहीं, बल्कि अपनी अलग राजनीतिक सोच रखने वाले नेता हैं।

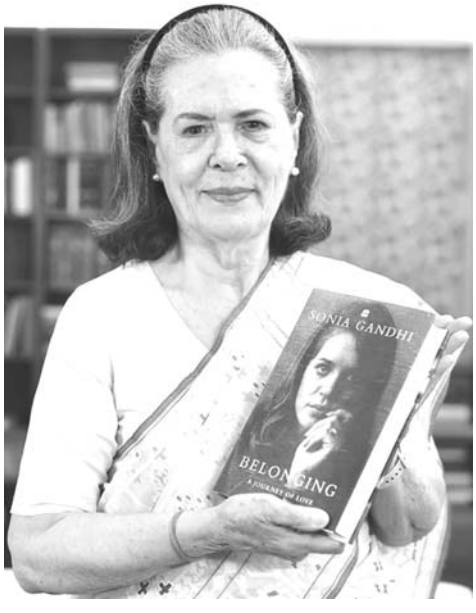


लब्बोलुआब है कि अन्नामलाई की सबसे बड़ी परीक्षा अब भाषणों में नहीं, चुनावी मैदान में होगी। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्नाद्रमुक जैसे दलों के पास दशकों पुराना संगठन, स्थानीय नेतृत्व और मजबूत राजनीतिक नेटवर्क है। विजय की TVK ने भी अपनी लोकप्रियता को चुनावी ताकत में बदलने का रास्ता दिखाया है। ऐसे में अन्नामलाई के लिए केवल भाजपा-विरोध या मोदी-विरोध पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें यह बताना होगा कि तमिलनाडु के युवाओं, किसानों, कारोबारियों और आम नागरिकों के लिए उनका राजनीतिक विकल्प क्या है। राजनीति में सुर्खियां रास्ता खोलती हैं, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए संगठन, सामाजिक समीकरण और भरोसा चाहिए। जयललिता और करुणानिधि के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय जरूर खुला है। विजय ने इस अध्याय में अपनी जगह बना ली है। अब अन्नामलाई के सामने सवाल है-क्या वे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को स्थायी जनाधार में बदल पाएंगे या उनका आंदोलन एक लोकप्रिय चेहरे तक सीमित रह जाएगा? तमिलनाडु की राजनीति में अगला बड़ा नाम बनने की उनकी महत्वाकांक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन अब उन्हें केवल अपनी क्षमता साबित नहीं करनी, बल्कि विजय की लोकप्रियता और पुराने दलों के संगठन के बीच अपनी जगह भी बनानी है। क्योंकि राजनीति में सबसे कठिन काम खाली कुर्सी पर बैठना नहीं, बल्कि उस कुर्सी पर अपनी जगह बनाए रखना होता है।



भारत में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा सोनिया गांधी की जिंदगी पर आधारित उनकी किताब ठमसवदहपदह 10 नवंबर को प्रकाशित होगी, लेकिन इसके पहले ही इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में जमकर हलचल है। सोनिया की इस किताब में उनकी राजनीति से लेकर उनकी जिंदगी, उनका संघर्ष और और निजी जीवन का भी जिक्र है। इसमें इटली से भारत तक के उनके सफर का जिक्र किया गया है। यह किताब प्यार, नुकसान और उन राजनीतिक फैसलों की निजी कहानी बताती है। इसके साथ ही किताब उनके जीवन के साथ-साथ भारत में करीब छह दशकों के दौरान हुए सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को देखने का एक अलग नजरिया भी देती है। अल्फ्रेड ए. नॉफ द्वारा रिलीज की जाने वाली 544 पन्नों की इस किताब को एक 'खुलासा करने वाली' यादों की किताब बताया जा रहा है, जो युद्ध के बाद के इटली से भारत तक के उनके जीवन का सफर बताती है और एक बेहद निजी और राजनीतिक कहानी सुनाती है। पेंगुइन रैंडम हाउस की वेबसाइट पर इसके बारे में कहा गया है कि यह ष्एक हैरान करने वाली यादों की किताब है जो प्यार, परिवार का एक बेहद दिलचस्प तरीके से जिक्र करती है। इसमें कहा गया है कि किताब में इटली में गांधी के शुरुआती सालों और राजीव गांधी से उनकी शादी से लेकर उनके संघर्षों तक का जिक्र होगा।

❖ **हिंदी, साड़ी और गांधी परिवार :** जानकारी अनुसार, यह किताब इंग्लैंड के कैम्ब्रिज से शुरू होती है, जहां '1965 में उन्नीस साल की छात्रा सोनिया माइनो को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है'-भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पोते राजीव गांधी से। इसमें बताया गया है कि किताब में उनकी प्रभावशाली सास, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात का जिक्र है और दिखाया गया है कि कैसे राजीव के साथ रहते हुए सोनिया का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हिंदी बोलना,



साड़ी पहनना और भारतीय खाने का मजा लेना सीखती हैं।

❖ **राजीव की हत्या और संजय की प्लेन क्रैश में मौत :** बता दें कि इस किताब में उन दुखद घटनाओं का भी जिक्र है जो राजीव गांधी के भाई संजय की प्लेन क्रैश में मौत और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार पर गुजरीं। अपनी माँ की मौत के बाद और सोनिया के डर के बावजूद, राजीव प्रधानमंत्री बने, और सात साल बाद राजीव की भी चुनाव प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई। इसमें यह भी बताया गया है कि सोनिया ने कई सालों तक राजनीति में आने के दबाव का विरोध किया, लेकिन बाद में वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं। एक अहम चुनाव के बाद जब पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया, तो उन्होंने इस पद को ठुकराने का 'हैरान करने वाला फैसला' लिया और इसके बजाय उस गठबंधन में अपनी पार्टी का नेतृत्व किया जिसने एक दशक तक देश पर शासन किया।

❖ **2004 में PM की कुर्सी ठुकराई थी :** बता दें कि 2004 में कांग्रेस ने 14 सहयोगी दलों के साथ UPA बनाया। चुनाव के बाद लेफ्ट समेत कई दलों के समर्थन से UPA को 335 सांसदों का समर्थन मिला। सहयोगियों ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने 18 मई 2004 को पद ठुकरा दिया। इसके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने।

❖ **परदे के पीछे बागडोर :** NDA ने सोनिया के विदेशी नागरिक का मुद्दा उठाकर उनके पीएम बनने का विरोध किया। इसके कारण सोनिया ने पीएम पद ठुकरा दिया और मनमोहन सिंह को पीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनें। हालांकि, कहा जाता है कि पर्दे के पीछे रहकर सरकार की बागडोर सोनिया के हाथों में ही थी।

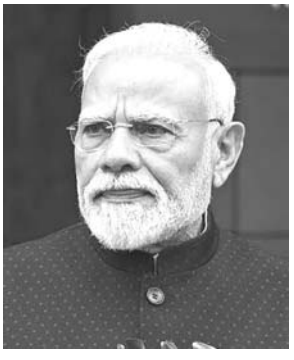
किताब के बारे में प्रकाशक का कहना है कि यह किताब आजादी के बाद के इतिहास, मौजूदा राजनीतिक संघर्षों और 60 सालों में हुए आर्थिक और सामाजिक बदलावों के जरिए 'भारत को एक अनोखे नजरिए से' दिखाती है, साथ ही सोनिया गांधी की निजी खुशियों और मुश्किलों की एक करीबी तस्वीर भी पेश करती है। अल्फ्रेड ए. नॉफ, नॉफ डबलडे पब्लिशिंग ग्रुप का एक इम्प्रिंट है, जो पेंगुइन रैंडम हाउस का एक डिवीजन है।



पटना में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती पर आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में आज उस वक्त हंगामा हो गया, जब एक युवक ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि इस तरह की राजनीतिक लड़ाई से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से नहीं जाने वाले। इस पर खड़गे ने मंच से जवाब दिया और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद कार्यक्रम में हंगामा बढ़ गया और कुछ लोगों ने युवक की पिटाई कर दी।

❖ **कार्यक्रम में क्यों हुआ हंगामा?** :- पटना में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती पर आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में आज उस वक्त हंगामा हो गया, जब एक युवक ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि इस तरह की राजनीतिक लड़ाई से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से नहीं जाने वाले। इस पर खड़गे ने मंच से जवाब दिया और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी।

❖ **हंगामे का वीडियो आया सामने** :- इसके बाद कार्यक्रम में हंगामा बढ़ गया और कुछ लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। हंगामे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खड़गे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। युवक छपरा का रहने वाला है। वह खड़गे को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह की राजनीतिक लड़ाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं हटाया जा सकेगा।



❖ **खरगे ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बोला हमला** :- इसी दौरान दोनों के बीच हुई बातचीत को लेकर कार्यक्रम में हंगामे की स्थिति बन गई। यह सब खरगे के मंच पर मौजूद रहने के दौरान हुआ। मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने संबोधन में बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी की सरकार चली जाएगी। आरएसएस पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि जब तक देश में आरएसएस की विचारधारा खत्म नहीं होगी, तब तक हिंसा खत्म नहीं होगी। खरगे ने कहा, अभी भी विरोधी भावना के लोग बीजेपी आरएसएस में भरे हुए हैं। उत्तराखंड में आजादी के 80 साल बाद भी मंच का शुद्धिकरण किया गया। ये शुद्धिकरण करने वाले लोगों को भगाना है। खरगे ने कहा, ब्रिटिश के एजेंट थे ये लोग, ऐसे लोग देशभक्त होते हैं? जबकि कांग्रेस के लोग मार खाए, घर छोड़े। कांग्रेस को दोष देते हैं लेकिन आपने क्या किया ये तो बताओ।

❖ **खरगे ने कहा, मेरे बेटे को धमकी देते हैं...** :- खरगे ने कहा, मैं 13 में 12 चुनाव जीता हूं, अब मेरा बेटा जीता, मेरे बेटे को आजकल धमकी देते हैं। उन्होने पूछा कि आरएसएस को पैसा कहां से मिलता है, अब उसके पीछे भी लगे हैं। मैं जब 6 साल का था, तब आग लगने से मेरे घर में कई लोग मर गए। मैं ब्लॉक प्रेजिडेंट से AICC प्रेजिडेंट बना हूं। 85 साल का हूं। अब क्यों मैं डरूं, आप डरे तो मरे। खरगे ने कहा, SIR के जरिए विरोधी के नाम वोटर लिस्ट से कटवा रही है। देशभर में चल रहे आंदोलन का आप साथ दें। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। आपको घर से बाहर निकलना होगा। मोदी सरकार और चुनाव आयोग के बीच गहरी सांठगांठ हुई है। ज्ञानेश कुमार को इसी मकसद से लाया गया।

❖ **खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज** :- भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बिहार प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने पटना के कोतवाली थाने में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई भाजपा नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए खरगे, कांग्रेस और राहुल गांधी से माफी की मांग की है।



फायरिंग में बाल बाल बचे बॉलबूड अभिनेता टाइगर श्राफ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ताबड़तोड़ फायरिंग की इस घटना से महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया और विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस को कटघरे में खड़ा किया। वही शिवसेना नेता और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभिनेता से उनके आवास पर मुलाकात की थी। बता दें कि मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना के मामले में कोटा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 हरियाणा के रहने वाले हैं और एक बिहार का है। कोटा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोटा पुलिस ने ट्रेन में सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। टाइगर पर हमले में शूटर रेहान की मुख्य भूमिका पायी गई। तीनों हमलावर एक हैंडलर के संपर्क में थे और टेलीग्राम शेयर कर रहे थे। पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों का नेपाल भागने का प्लान था। पुलिस ने दावा किया कि हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है।



गौरतलब है कि बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। हालांकि, आरोपियों की उम्र को लेकर सामने आई जानकारी में बाद में बदलाव हुआ है। मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी नाबालिग नहीं हैं। यह घटना 18 अक्टूबर 2026 की शाम को हुई थी। टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल ग्राउंड से निकल रहे थे, तभी बाइक सवार तीन लोग वहां पहुंचे। इनमें से दो लोगों ने अभिनेता की कार पर कथित तौर पर गोलीबारी की और









इसके बाद मौके से फरार हो गए। घटना में टाइगर श्रॉफ सुरक्षित बच गए। शुरुआती रिपोर्टों में उनके ड्राइवर और एक ऑटो रिक्शा चालक के घायल होने की जानकारी भी सामने आई थी। मुंबई पुलिस और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोटा रेलवे स्टेशन से तीन संदिग्धों को पकड़ा। इस ऑपरेशन में राजस्थान पुलिस के साथ एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने भी सहयोग किया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों को पकड़ने के लिए कई विशेष टीमें गठित की गई थीं। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और जमीनी स्तर पर की गई पड़ताल की मदद ली। जांच में आरोपियों की गतिविधियों का पता अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन से लेकर मुंबई के उत्तरी हिस्से और फिर सूरत तक लगाया गया। इसके बाद उनके पुणे-जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने की जानकारी मिली। आगे की कार्रवाई में कोटा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

विदित हो कि शुरुआती जानकारी में तीन संदिग्धों में से एक की उम्र 17 साल बताई गई थी। वहीं, अन्य दो की पहचान बिहार के बेगूसराय निवासी 22 वर्षीय ऋतिक कुमार उर्फ रोशन और हरियाणा के सोनीपत निवासी 18 वर्षीय रेहान के रूप में बताई गई। हालांकि, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बाद में स्पष्ट किया कि इस मामले में पकड़े गए तीनों आरोपी नाबालिग नहीं हैं। पुलिस के मुताबिक, एक आरोपी की उम्र 18 साल और बाकी दो की उम्र 22 साल है। इस तरह आरोपियों की उम्र को लेकर शुरुआती रिपोर्टों और पुलिस के बाद के बयान में अंतर सामने आया है। मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फायरिंग के बाद आरोपी नेपाल भागने की योजना बना रहे थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात के पीछे किसका हाथ था और आरोपियों को किसी अन्य व्यक्ति या गिरोह से निर्देश मिले थे या नहीं। मुंबई पुलिस ने कहा कि आरोपियों को मुंबई लाने की प्रक्रिया जारी है। इस कार्रवाई में दिल्ली, गुजरात और राजस्थान पुलिस भी सहयोग कर रही हैं।

बहरहाल, मुंबई पुलिस के डीसीपी राज तिलक रौशन के मुताबिक, रविवार शाम करीब सात बजे बाइक पर तीन लोग आए थे। इनमें से दो ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की और इसके बाद फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपियों का पता लगाने के लिए करीब 20 विशेष टीमें बनाई थीं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जानकारी और स्थानीय स्तर पर जुटाए गए सुरागों की मदद से उनकी आवाजाही का पता लगाया। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराएं लगाई हैं। जांच आगे बढ़ने के साथ अन्य गिरफ्तारियां होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टाइगर श्रॉफ से बात कर मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढ निकाला जाएगा और इस तरह की वारदातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फडणवीस के मुताबिक, आरोपियों के महाराष्ट्र के बाहर से, संभवत: विदेश से, काम करने की आशंका की भी जांच की जा रही है। इसके लिए अन्य राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाएगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों को मुंबई लाने, फायरिंग के पीछे की वजह का पता लगाने और संभावित साजिश की जांच में जुटी है। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और हथियार कहां से आए तथा आरोपियों को किसने मदद पहुंचाई। पुलिस की जांच पूरी होने और आधिकारिक तौर पर अधिक जानकारी सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।





सुप्रीम कोर्ट ने देश में धर्म परिवर्तन और आरक्षण के अधिकार से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाता है, तो वह केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण या सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ का दावा नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी।



❖ **मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार** :- दरअसल, यह मामला तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च 2024 के उस सरकारी आदेश से संबंधित था, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, डिनोटिफाइड समुदायों और अनुसूचित जातियों से जुड़े लोग यदि इस्लाम अपनाते हैं, तो उन्हें 'पिछड़ा वर्ग मुस्लिम' (BCM) श्रेणी का दर्जा दिया जा सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है।

❖ **क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?** :- मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था से निकलकर किसी गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था (जैसे इस्लाम) में जाने वाला व्यक्ति केवल इस आधार पर अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण नहीं मांग सकता कि वह धर्म परिवर्तन से पहले पिछड़े वर्ग का हिस्सा था। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में झेली गई पिछड़ेपन की स्थिति को अपने आप आगे बढ़ाकर नए धर्म में किसी पिछड़े वर्ग का दर्जा हासिल करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

❖ **घर वापसी पर भी स्थिति साफ** :- सुप्रीम कोर्ट ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि कानूनन केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति को ही अनुसूचित जाति का सदस्य माना जा सकता है। इन धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाने पर व्यक्ति अपनी मूल जाति का दर्जा खो देता है और आरक्षण का लाभ नहीं मांग सकता। यदि कोई व्यक्ति इस्लाम अपनाने के बाद दोबारा हिंदू धर्म में लौटता है (घर वापसी), तो उसे उसका पुराना पिछड़े वर्ग का दर्जा अपने आप वापस नहीं मिलता।

❖ **क्या था पूरा मामला?** :- इस विवाद की शुरुआत थूथुकुडी जिले से हुई थी। वहां एक हिंदू दंपति के घर जन्मे परमसिवम नामक व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन के बाद मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में अनुरोध किया गया था कि इस्लाम अपनाने के बावजूद उन्हें पिछड़े समुदाय का सदस्य माना जाए और उसी के अनुरूप लाभ प्रदान किए जाएं। इसी याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश को निरस्त किया था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मुहर लग गई है।

शिवानंद गिरि

(अधिवक्ता)

Ph.- 9308454485

7004408851

E-mail :-shivanandgiri5@gmail.com



★ कानूनी जिरह (Cross-Examination) में गवाह की सच्चाई परखने के प्रभावी तरीके क्या हैं?

☞ घटना की तारीख स्पष्ट करवाना।

☞ घटना का सही समय पूछना।

☞ घटनास्थल का विवरण पूछना।

☞ गवाह की घटना से दूरी पूछना।

☞ प्रकाश की स्थिति पूछना।

☞ गवाह ने वास्तव में क्या देखा, अलग-अलग पूछना।

☞ घटना कितनी देर चली, पूछना।

☞ घटना के समय गवाह कहाँ खड़ा था, पूछना।

☞ आसपास कौन-कौन मौजूद था, पूछना।

☞ आरोपी की पहचान कैसे हुई, पूछना।

☞ पहचान कितनी दूरी से हुई, पूछना।

☞ पहली बार पुलिस को क्या बताया था, पूछना।

☞ FIR में कही बात से मिलान करना।

☞ पुलिस बयान से विरोधाभास निकालना।

☞ अदालत में दिए बयान से तुलना करना।

☞ पुराने बयान और वर्तमान बयान का अंतर पूछना।

☞ गवाह ने घटना के तुरंत बाद किसे बताया, पूछना।

☞ शिकायत करने में देरी क्यों हुई, पूछना।

☞ देरी का कोई दस्तावेजी कारण है या नहीं, पूछना।

☞ गवाह का आरोपी से संबंध पूछना।

☞ गवाह का शिकायतकर्ता से संबंध पूछना।

☞ किसी व्यक्तिगत दुश्मनी की संभावना पूछना।

☞ किसी लाभ या नुकसान की संभावना पूछना।

☞ क्या गवाह को किसी ने घटना बताई थी, पूछना।

☞ प्रत्यक्ष ज्ञान और सुनी-सुनाई बात अलग करवाना।

❖ **महत्वपूर्ण बात :-** जिरह का उद्देश्य गवाह को डराकर 'सच उगलवाना' नहीं, बल्कि उसके बयान की विश्वसनीयता, निरंतरता और स्वतंत्र पुष्टि को अदालत के सामने परखना है। सही जिरह, सच्चाई की कुंजी है।

☞ घटना के दौरान गवाह ने कौन-से शब्द सुने, पूछना।

☞ किस व्यक्ति ने कौन-सा काम किया, अलग-अलग पूछना।

☞ हथियार/वस्तु का विवरण पूछना।

☞ वाहन का विवरण पूछना।

☞ घटनास्थल के नक्शे से गवाही मिलाना।

☞ CCTV उपलब्ध था या नहीं, पूछना।

☞ फोटो/वीडियो के बारे में पूछना।

☞ मोबाइल कॉल या संदेश के बारे में पूछना।

☞ मेडिकल रिपोर्ट से बयान मिलाना।

☞ चोट का स्थान और कथित घटना का मिलान करना।

☞ बरामदगी के दस्तावेजों से तुलना करना।

☞ पंचनामा /जब्ती मेमो से तुलना करना।

☞ गवाह से पूछना कि उसने दस्तावेज कब और कहाँ देखा।

☞ हस्ताक्षर कब किए, पूछना।

☞ दस्तावेज किसके सामने तैयार हुआ, पूछना।

☞ पुलिस के साथ घटनास्थल पर कब गया, पूछना।

☞ पुलिस को कौन-सी जानकारी स्वयं दी, पूछना।

☞ क्या बयान पढ़कर सुनाया गया था, पूछना।

☞ गवाह की स्मृति की सीमाएँ सामने लाना।

☞ छोटी-छोटी परिस्थितियों की पुष्टि करवाना।

☞ दो अलग-अलग कथनों को आमने-सामने रखना।

☞ असंगत या असंगत समय-क्रम पर सवाल करना।

☞ अन्य स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी पूछना।

☞ गवाह के कथन को उपलब्ध दस्तावेजों से मिलाना।

☞ अंत में स्पष्ट और सीमित "suggestion" देकर गवाह से असहमति दर्ज करवाना।

आवश्यकता

अगर आप में है आत्मविश्वास और तीव्र इच्छा, तो मौका है इसे पूरा करने का....

बिहार की सबसे लोकप्रिय पत्रिका

केवल सच

और

केवल सच TIMES

को बिहार के हर जिले, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि (डोर टू डोर मार्केटिंग) एवं प्रसार के कार्य के लिए परिश्रमी एवं जुझारू युवक/युवतियों की आवश्यकता है।

योग्यता:-

जिला ब्यूरो	प्रखंड संवाददाता	पंचायत संवाददाता	विज्ञापन प्रतिनिधी
स्नात्तक उतीर्ण	स्नात्तक/इंटर	स्नात्तक/इंटर/मैट्रिक	स्नात्तक/इंटर/मैट्रिक

संपर्क करे:-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग

पटना-20, मो.- 9431073769, 9955077308

Quality Medicines... for a Healthier Tomorrow

Trusted • Reliable • Since 1990

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

(Serving Nation Since 1990)



Our Product Range

- WESTOCITRON
- WESTOCLAV
- WESTOFERON
- WESTOPLEX
- QNEMIC

Safe Effective Affordable

Quality Medicines for Better Life

Our Other Products

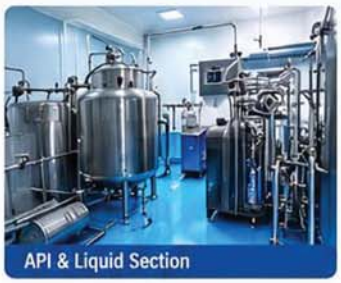
- AOJ
- AZIWEST
- DAULER
- MUCULENT
- AOJ-D
- BESTARYL-M
- GAS-40
- MUCULENT-D


Powder & Liquid Manufacturing


Clean & Hygienic Environment


Our Dedicated Team


Syrup Manufacturing


API & Liquid Section


Quality Control Laboratory

Speciality Products

- SEVIPROT
- WESTOMOL
- WESTO ENZYME
- ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD. WD Dispersing Happiness

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

Industrial area, Fatuha-803201
Dist. Patna, Bihar
E-mail: westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.: 0162-3500233/2950008

Own Manufacturing Unit | GMP Compliant | Third Party Manufacturing | Partner in Health